

ऋण आवेदन पत्र-गोदाम रसीद ऋण

फोटोग्राफ: सेल्फ अटेस्टेड

आवेदन संख्या:

आवेदन तिथि:

मैं/हम नीचे दिए गए विवरण के साथ ऋण प्रदान करने का अनुरोध करते हैं:

ऋण का प्रकार: कमोडिटी आधारित वित्तपोषण

ऋण राशि (रुपये में):

ऋण का उद्देश्य:

चुकोती शर्तें/अनुसूची:):

ऋण की अवधि:

सुरक्षा की पेशकश: कमोडिटी

ब्याज दर: ब्याज का प्रकार:

आवेदक विवरण-व्यक्तिगत

श्रीर्षक: ☐ श्री ☐ सुश्री ☐ श्रीमती ☐ डॉ ☐ . अन्य

आवेदक का नाम:

प्रथम नाम:

पिता का नाम:

जीवनसाथी का नाम:

माता का नाम:

जन्म तिथि:

स्थायी खाता संख्या (PAN):

वैवाहिक स्थिति: ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य

लिंग: ☐ पुरुष ☐ महिला ☐ तीसरा लिंग

राष्ट्रीयता: ☐ भारतीय ☐ अन्य (दूसरों के मामले में कृपया एक और फॉर्म भरें)

शिक्षा स्तर: ☐ पूर्वस्नातक ☐ स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ पेशेवर ☐ दूसरों

व्यवसाय का प्रकार: ☐ किसान ☐ व्यापारी ☐ प्रोसेसर ☐ एफपीओ ☐ दूसरों

आय का स्रोत: ☐ कृषि ☐ व्यवसाय आय वेतन ☐ आय ☐ कोई अन्य

भूमि विवरण: नीचे

सकल वार्षिक आय:

कोटि: ☐ अनुसूचित जाति ☐ सेंट ☐ ओबीसी ☐ सामान्य

(फसल का नाम)

स्थायी पता:

धर्म:

पिनकोड:

डाक पता/संचार पता

पिनकोड:

मोबाइल नंबर (अनिवार्य):

लैंडलाइन नंबर:

ई-मेल आईडी:

पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) (व्यक्ति के लिए)
 (निम्नलिखित पीओआई/पीओए की प्रमाणित प्रति जमा करने की आवश्यकता है)

पैन नंबर या फॉर्म 60 (अनिवार्य):

आधार कार्ड (यूआईडी) (अनिवार्य):

वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस:

पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि:

अन्य: _____

(केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज)

आवेदक विवरण - गैर-व्यक्तिगत

फर्म/इकाई का नाम:

संविधान: (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/एचयूएफ/एलएलपी/ट्रस्ट/कंपनी) _____

निगमन की तिथि: _____

पंजीकृत कार्यालय का पता: _____

व्यवसाय का मुख्य स्थान (यदि पंजीकृत कार्यालय के पते से भिन्न हो): _____

सम्पर्क करने का विवरण: _____

स्थायी खाता संख्या (PAN): _____

जीएसटी नंबर: _____

उद्योग के प्रकार: _____

आय का स्रोत: _____

वार्षिक कारोबार: _____

उद्यम पंजीकरण संख्या: _____

प्रोपराइटर/पार्टनर/कर्ता/डायरेक्टर का विवरण

प्रोपराइटर/पार्टनर्स का नाम / निर्देशकों	पद का नाम	जन्म तिथि	पैन/आधार	पता	योग्यता	सम्पर्क करने का विवरण	% शेयरधारिता (यदि कोई हो)

दिन-प्रतिदिन के लेन-देन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	पद का नाम	संपर्क नंबर	ई-मेल आईडी	आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज	पावर ऑफ अटॉर्नी/बोर्ड प्रस्ताव

पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) (व्यक्ति के लिए)
 (निम्नलिखित पीओआई/पीओए की प्रमाणित प्रति जमा करने की आवश्यकता है)

पहचान का ए-प्रमाण:

निगमन का प्रमाण पत्र

मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन

पंजीकरण प्रमाणपत्र

साझेदारी/ट्रस्ट डीड

अन्य

पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण: _____

प्रधान कार्यालय के पते का प्रमाण (यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो):

(केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी दस्तावेज)

बैंक खाते का विवरण

खाताधारक का नाम	शाखा वाले बैंक का नाम	खाते का प्रकार	खाता संख्या।	आईएफएससी कोड

बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण सुविधाओं का विवरण (शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड सहित)

बैंक का नाम/ वित्तीय संस्थान	खाते का प्रकार	लिए गए ऋण की राशि (रु. में)	ऋण अवधि (महीनों में)	चुकोती योजना	वर्तमान बकाया	सुरक्षा, यदि कोई हो	डिफॉल्ट की राशि, यदि कोई हो

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरण और जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही, पूर्ण और अद्यतित हैं और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") से कोई भी भौतिक जानकारी नहीं छिपाई गई है/दबाई गई है।

मैं/हम सहमत हैं कि बैंक इसे सीधे या किसी तीसरे पक्ष के एजेंट के माध्यम से सत्यापित करने का हकदार है। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय/बैंक विवरण/शीर्षक/कानूनी दस्तावेजों आदि की संलग्न प्रतियां मेरे द्वारा मेरे ऋण आवेदन के खिलाफ प्रस्तुत की जाती हैं और प्रमाणित करते हैं कि ये सत्य प्रतियां हैं। मैं/हम इस संबंध में किसी अन्य स्रोत से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करते हैं।

मैं/हम समझते हैं कि उपर्युक्त सभी जानकारी किसी भी ऋण का आधार बनेगी जिसे बैंक अपने विवेकाधिकार पर मुझे/हमें देने निर्णय ले सकता है। मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि मुझे जो भी ऋण प्रदान किया जा सकता है, वह बैंक के नियमों द्वारा शासित होगा जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं। मैं/हम ऋण/ऋणों के नियमों और शर्तों से बाध्य होंगे जो मुझे/हमें दिए जा सकते हैं। मैं/हम बैंक को मेरे ऋण खाते से लागू किसी भी शुल्क, प्रभार, ब्याज आदि को डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती

हूँ/करते हैं।

मैं/हम अपने आवासीय या व्यावसायिक पते/संपर्क विवरण/व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन या ऐसे किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करने का वचन देता/देती हूँ जो मेरी ऋण-योग्यता को प्रभावित कर सकता है बैंक को आवश्यक कोई भी अन्य स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ) की इकाइयां, सोने की इकाइयां, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र (केवीसी) और राष्ट्रीय बचत योजना (एनएससी) आदि सहित लघु बचत लिखतों के अधिग्रहण के लिए सुविधा।

मैं/हम किसी भी वैधानिक या कानूनी कमजोरियों से पीड़ित नहीं हूँ और/या बाध्यकारी समझौते में प्रवेश करने में असमर्थ हूँ।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं वयस्क हूँ, अनुबंध करने में सक्षम हूँ, और स्वस्थ दिमाग का हूँ

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि कोई दिवालिया/परिसमापन / विघटन कार्यवाही या कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और/या मेरे / हमारे खिलाफ लंबित है और मुझे / हमें कभी भी किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मेरी संपत्ति के लिए एक रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या इसी तरह के अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

मैं/हम बैंक द्वारा नामित/अनुमोदित संबंधित गोदाम/गोदाम के साथ वस्तुओं को जमा करेंगे और उक्त ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक के पक्ष में वस्तुओं पर एक गिरवी रखूंगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि गिरवी रखी गई वस्तुओं/गिरवी रखी जाने वाली वस्तुओं द्वारा समर्थित वस्तुएं/गोदाम रसीदें किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के पास गिरवी नहीं रखी गई हैं।

मैं/हम न तो राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हूँ/राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों से संबंधित नहीं हूँ (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित और संशोधित किया गया है)।

मैं/हम समझते हैं कि ऋण की अवधि/पुनर्भुगतान/ब्याज/अन्य नियम और शर्तें ऋण को पूरा करने में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप, मुद्रा बाजार की स्थितियों में किसी भी बदलाव या किसी अन्य वैधानिक या नियामक आवश्यकताओं के कारण या बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं। बैंक ऋण की शर्तों की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि वह उचित समझे।

मैं/हम समझते हैं कि ऋण निर्णय एक क्रेडिट मॉडल पर आधारित है जिसमें क्रेडिट इतिहास, पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड, बैंकिंग आदतें, व्यवसाय स्थिरता और नकदी प्रवाह विश्लेषण जैसे कारक शामिल हैं, जिनका मूल्यांकन व्यक्तिगत चर्चा और दस्तावेजीकरण के संयोजन के माध्यम से किया जाता है।

मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि बैंक या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा ऋण की मात्रा/स्वीकृति प्रक्रिया (या) के संबंध में मुझसे कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है। इसके अलावा, मैंने/हमने बैंक के किसी भी प्रतिनिधि (या) किसी अन्य तीसरे पक्ष को इस ऋण आवेदन के साथ या उसके संबंध में नकद, वाहक चेक या वस्तु के रूप में कोई भुगतान नहीं किया है।

मैं/हम समझते हैं कि मुझे ऋण प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, बैंक को मुझसे संबंधित जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए, मुझे/हमारे द्वारा लिए गए ऋण, उसके संबंध में मेरे द्वारा ग्रहण किए गए दायित्वों और चूक, यदि कोई हो, के बारे में सहमति की आवश्यकता होती है, उसके निर्वहन में मेरे द्वारा किया गया। तदनुसार, मैं/हम एतद्वारा

सहमत हैं और बैंक द्वारा सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमति देते हैं; (i) मुझसे संबंधित सूचना और आंकड़े (ii) मेरे द्वारा लिए गए/प्राप्त किए जाने वाले किसी ऋण से संबंधित जानकारी या डेटा और (iii) अपने दायित्व के निर्वहन में मेरे द्वारा किए गए चूक, यदि कोई हो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) और भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार और CIBIL द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी और ऐसी कोई एजेंसी का उपयोग कर सकती है, बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा को संसाधित करना; और सिबिल और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋण अनुदानकर्ताओं को उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उसके उत्पादों को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।

मैं/हम अपने आवेदन की स्थिति, खाता गतिविधि, सेवा कॉल (संग्रह, सलाह और शैक्षिक/सूचनात्मक संदेशों सहित), नियामक अपडेट के साथ-साथ उत्पाद उपयोग संदेश/कॉल प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ, जो बैंक समय-समय पर मेरे मोबाइल/फोन नंबर पर भेजेगा/करेगा, जैसा कि इस आवेदन पत्र में उल्लिखित है।

मैं/हम केवाईसी उद्देश्यों के लिए अपने विवेक से स्वेच्छा से यूआईडीएआई (आधार) द्वारा परिभाषित बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण या पहचान/पते के प्रमाण स्थापित करने के उद्देश्य से बैंक को ऑफलाइन सत्यापन मोड प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम बैंक को यूआईडीएआई से मेरे विवरण को सत्यापित करने के लिए मेरे/हमारे आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक यूआईडीएआई से डेटा मांगेगा और इसे मेरे/हमारे द्वारा चुने गए उत्पाद/सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक के पास संग्रहीत किया जाएगा।

मैं/हम बैंक को आवेदन पत्र में मुझे/हमारे द्वारा प्रदान किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सीकेवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति देते हैं। मैं/हम केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, केवल सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से मेरी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य से। मैं/हम समझते हैं कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरे केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर आदि शामिल हैं।

मैं/हम बैंक को मुझे/हमसे संबंधित समूह कंपनियों/एसोसिएट्स/सहायक/सहयोगियों/बैंक के संयुक्त उद्यमों/किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई जानकारी/डेटा को किसी भी अन्य विशिष्ट सहमति या प्राधिकरण के बिना, किसी भी प्रकार से साझा करने, प्रकट करने, विनिमय करने या उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूँ// बैंक द्वारा। किसी भी व्यक्ति के साथ पेश किए गए किसी भी उत्पाद/सेवाओं के विपणन/पेशकश/बिक्री के उद्देश्य से 'सेवाओं/उत्पादों' के प्रावधान के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है

मैं/हम बैंक को समय-समय पर आवेदन पत्र में मेरे व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अधिकृत करते हैं ताकि मुझे/हमें विपणन जानकारी भेजी जा सके, बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं या प्रचार प्रस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए मुझसे संपर्क करें, जो बैंक द्वारा स्वयं और सहयोग से या भागीदारों/तीसरे पक्ष के साथ गठजोड़ के माध्यम से पेश किए जाते हैं। नीचे अपनी वरीयता देकर आप बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते हैं:

☐ हाँ, बैंक मुझसे संपर्क कर सकता है ☐ नहीं, बैंक मुझसे संपर्क नहीं कर सकता है।

मैं/हम ऋणदाता बैंक या किसी अन्य बैंक के निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी नहीं हूँ/हैं और मैं ऋणदाता बैंक के किसी भी निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी का #near रिश्तेदार नहीं हूँ/हैं ☐ हाँ ☐ नहीं

#Near रिश्तेदार का अर्थ है: पति/पत्नी, पिता, माता (सौतेली माँ सहित), बेटा (सौतेले बेटे सहित), बेटे की पत्नी, बेटी (सौतेली बेटी सहित), बेटी का पति, भाई (सौतेले भाई सहित), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति या पत्नी का भाई (सौतेले भाई सहित), पति या पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित)।

मैंने/हमने www.shivalikbank.com ("[वेबसाइट](#)") में निर्धारित विभिन्न सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों को पढ़ा, समझा और स्वीकार किया है।

मैं/हम समझते हैं कि यह ऋण बैंक के "फेयर प्रैक्टिसकोड" के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है जो बैंक पर उपलब्ध है और उस पर जाने के लिए लिंक <https://shivalik-bank.com/regulatory-section/policies/fair-lending-practice-code-policy>

मैं/हम समझते हैं कि किसी भी प्रश्न के मामले में, मैं/हम टोल फ्री नंबर 1800-202-5333 पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर सकते हैं या customercare@shivalik-bank.com को ईमेल भेज सकते हैं या निकटतम शाखा में जा सकते हैं।

मैं/हम समझते हैं कि यहां दिए गए खंडों को मुझे/हमारे और बैंक के बीच एक स्पष्ट या निहित समझौते का गठन नहीं माना जाएगा।

मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक, अपने विवेकाधिकार से, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए सेवाएं संलग्न कर सकता है ताकि अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाई जा सके।

मैं/हम उपरोक्त की पुष्टि के रूप में अपने हस्ताक्षर करते हैं।

मैं/हम एतद्वारा समझते हैं कि कैप्चर किए गए हस्ताक्षर का उपयोग भविष्य के सभी लेनदेन को अधिकृत/सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। मैं/हम सहमत हैं कि ऊपरी/नीचे दिए गए हस्ताक्षर का उपयोग नमूना हस्ताक्षर के रूप में भी किया जा सकता है।

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकरण से सूक्ष्म उद्यमों को बैंक ऋण और अन्य सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच में मदद मिल सकती है। सरकार ने एक विशेष प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है जिसके माध्यम से बैंक अपने सूक्ष्म उद्यम ग्राहकों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (www.udyamassist.gov.in) के साथ अपनी बुनियादी जानकारी (आधार सहित) साझा करके उद्यम पंजीकरण संख्या प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

मैं उद्यम पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को सहमति प्रदान करता हूँ

नामित आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

आवेदक का नाम

आवेदक के आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक :

स्थान:

स्थानीय भाषा की घोषणा

सभी प्रभारों सहित ऋण के नियमों और शर्तों का विवरण और अनुसूची/अनुलग्नक सहित अन्य सभी दस्तावेजों को मैं/हमारे द्वारा पढ़ा गया है/मुझे/हमें पूर्ण रूप से (स्थानीय भाषा में) पढ़ा गया है और मैं/हमारे द्वारा समझा गया है।

नामित आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

आवेदक का नाम

आवेदक के आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक: स्थान:

एफएटीसीए- सीआरएस घोषणाएं

कृपया लागू कर निवासी घोषणा (कोई एक)* पर निशान करें

मैं ☒ भारत का कर निवासी हूं और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूं या ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों का कर निवासी हूं: कृपया उस देश/देशों का उल्लेख करें जिसमें व्यक्ति कर उद्देश्यों के लिए निवासी है और नीचे दी गई संबंधित टैक्स आईडी संख्या बताएं:

जन्म का शहर* _____

जन्म का देश* _____

कर उद्देश्य के लिए पता प्रकार- ☐ आवासीय ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय

यूएसए को भी शामिल करने के लिए, जहां व्यक्ति यूएसए का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है% यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष एफएटीसीए-सीआरएस प्रमाणन प्रदान करें: मैंने इस फॉर्म की सूचना आवश्यकताओं को समझ लिया है (एफएटीसीए/सीआरएस संस्थानों और नियम और शर्तों के साथ पढ़ें) और इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि इस फॉर्म पर मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य है, सही, और पूर्ण और इसके द्वारा इसे स्वीकार करें।

FATCA - CRS नियम और शर्तें

केन्ट्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1962 के हिस्से के रूप में 7 अगस्त, 2015 के नियम 114 एफ से 114एच तक को अधिसूचित किया है, जिसके नियमों के अनुसार बैंक जैसे भारतीय वित्तीय संस्थानों को हमारे सभी खाताधारकों से अतिरिक्त व्यक्तिगत, कर और लाभकारी स्वरूप की जानकारी और कुछ प्रमाणन और प्रलेखन मांगने की आवश्यकता है। प्रासंगिक मामलों में, खाते से उचित रोक या उसके संबंध में किसी भी आय को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कर अधिकारियों/नियुक्त एजेंसियों/विद्वहोलिडिंग एजेंटों को जानकारी देनी होगी। यदि आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी में कोई बदलाव होता है, तो कृपया हमें तुरंत सलाह दें, यानी 30 दिनों के भीतर। यदि आपके पास अपने कर निवास के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने कर सलाहकार से संपर्क करें।

दिनांक: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

संदर्भ संख्या -

 तारीख

स्वीकृति पत्र

सेवा में

पता:

प्रिय

उप: ऋण की स्वीकृति -

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका आवेदन दिनांक / / 202 स्वीकृत हो गया है। स्वीकृत ऋण के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

मंजूरी का विवरण:

	ऋण का प्रकार	ऋण राशि (रुपये में)	ब्याज दर {निश्चित या अस्थायी निर्दिष्ट करें}	ऋण समाप्ति दिनांक	ऋण अवधि (महीनों में)
1	वेयरहाउस रसीद वित्त				

बुलेट लोन के लिए चुकौती की शर्तें	मूलधन बकाया और लागू ब्याज ऋण अवधि के अंत में दिया जाना चाहिए।
मासिक ब्याज के लिए चुकौती शर्तें	मासिक आधार पर ब्याज और ऋण के अंत में मूलधन का भुगतान किया जाएगा कार्यकाल

लागू पुनर्भुगतान शर्तों पर टिक किया जाना चाहिए

प्राथमिक उधारकर्ता विवरण

	प्राथमिक उधारकर्ता का नाम {दोनों व्यक्तियों के लिए और गैर-व्यक्तिगत}	पिता का नाम (यदि लागू हो)	उधारकर्ता प्रकार
1.			

वस्तु विवरण

वस्तु का नाम	मार्जिन (% में)	अधिकतम भंडारण अवधि (महीनों में)

प्राथमिक सुरक्षा: गिरवी रखी गई वस्तु

उद्देश्य: नियमित कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं और धन का उपयोग किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति या किसी अन्य उद्देश्य के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा।

शुल्क:
प्रोसेसिंग शुल्क: प्रत्येक संवितरण के लिए वितरित राशि का% (जीएसटी को छोड़कर)।

विलंबित भुगतान के मामले में अतिदेय शुल्क: अतिदेय राशि का 12% प्रति वर्ष (जीएसटी को छोड़कर)।

संपार्श्विक प्रबंधन और गोदाम शुल्क: के साथ सहमति और अनुबंध के रूप में

अन्य शर्तें
भुगतान:

प्रत्येक ऋण संवितरण केवल संपार्श्विक मान्यता प्राप्त/प्रबंधित भंडारण संरचनाओं में वस्तुओं को जमा करने और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("शिवालिक बैंक") के पक्ष में गिरवी के निर्माण पर होगा। संवितरण की अनुमति संपार्श्विक प्रबंधन एजेंसी (सीएमए)/सूचीबद्ध संपार्श्विक प्रबंधन एजेंसी से गुणवत्ता जांच प्राप्त होने के बाद ही दी जाएगी।

कमोडिटी का मूल्यांकन:
प्रतिभूति के रूप में वस्तु का मूल्य निम्न से कम होगा:

अ. डब्ल्यूआर (वेयरहाउस रसीद)/एसआर (भंडारण रसीद) में परिलक्षित वस्तुओं का मूल्य।

आ. शिवालिक बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य सीमा के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण।

ऋण की वैधता: ऋण की वैधता डब्ल्यूआर में उल्लिखित समाप्ति तिथि या ऋण समाप्ति तिथि के अंत, जो भी पहले हो, होगी।

मंजूरी का विवरण:

ऋण उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के निष्पादन के बाद ही जारी किया जाएगा।

- शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में मूल डब्ल्यूआर/एसआर ग्रहणाधिकार नोट किया गया।
- प्रतिज्ञा समझौता
- ऋण समझौता
- वचन पत्र की मांग करें
- संवितरण अनुरोध पत्र
- बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र (जहां भी लागू हो)
- व्यक्तिगत गारंटी
- स्वीकृति/संवितरण के समय विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

स्वीकृति पत्र की वैधता स्वीकृति की तारीख से तीस (30) दिनों तक है। यह स्वीकृति पत्र रद्द और/या रद्द कर दिया जाएगा और पूरी तरह से अमान्य होगा यदि:

- जिस प्रस्ताव के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है, उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।
- ऋण आवेदन में दिया गया कोई भी बयान या उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गलत या असत्य पाए जाते हैं।

अनुमोदन प्राधिकरण

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

द्वारा सहमति और स्वीकृति

हस्ताक्षर (उधारकर्ता)

विशिष्ट नियम और शर्तें	
1	वस्तुओं को जारी करने का काम केवल उधारकर्ता द्वारा स्वयं या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वैध आईडी प्रमाण के साथ किया जाएगा
2	गिरवी रखी गई वस्तुओं के बाजार मूल्य के प्रतिशत के रूप में डब्ल्यूआर/एसआर चार बार कुल बकाया (ब्याज सहित) 75% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि यह 75% से अधिक है, तो अतिरिक्त वस्तु या कमी को दस (10) दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता है। यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य मूल्य 95 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, तो मूल्य में उतार-चढ़ाव/गुणवत्ता में गिरावट के कारण, शिवालिक बैंक उसी दिन सीधे या शिवालिक बैंक के पैनल में शामिल एजेंट के माध्यम से वस्तुओं का निपटान शुरू कर सकता है।
3	वस्तु का बीमा गिरवी रखी गई वस्तुओं के पूर्ण मूल्य के लिए होना चाहिए और वस्तुओं की अंतिम रिलीज तक सक्रिय होना चाहिए और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के ग्रहणाधिकार को हटा दिया जाना चाहिए।
4	वस्तुओं का अधिकतम वित्त पोषण मूल्य शिवालिक बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई मूल्य सीमा के भीतर होगा।
5	ऋण अवधि की मुद्रा के दौरान डब्ल्यूआर/एसआर वैध (समाप्त नहीं) होने चाहिए
6	क्यूसी, धूमन, संपार्श्विक प्रबंधन और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना है।
7	सरकार के स्वामित्व वाले/प्रचालित गोदामों (सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/डब्ल्यूडीआरए प्रत्यायित) के मामले में, शिवालिक बैंक द्वारा नियुक्त पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता का पुनः सत्यापन किया जा सकता है।
8	गिरवी रखी गई वस्तुओं का निरीक्षण शिवालिक बैंक की पैनल में शामिल एजेंसियों या बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा
9	प्री-स्टेक्ड क्रेडिट को फंड नहीं किया जाएगा। प्री-स्टेक्ड वस्तुओं के लिए शिवालिक बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।
10	ऋणदाता - शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एतद्वारा अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों की चूक और कमीशन के कार्यों के लिए उधारकर्ता के प्रति जिम्मेदार है।

सामान्य नियम और शर्तें	
1	ऋणदाता - शिवालिकशिवालिक बैंक ऋण की मुद्रा के दौरान किसी भी समय स्वीकृत ऋण के अप्राप्त/अप्रयुक्त/अप्रयुक्त हिस्से को किसी भी कारण से उधारकर्ता को बिना किसी नोटिस के रद्द करने का बिना शर्त अधिकार सुरक्षित रखता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एतद्वारा अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों की चूक और कमीशन के कार्यों के लिए उधारकर्ता के प्रति जिम्मेदार है।
2	ब्याज/प्रभार/किस्त का भुगतान न किए जाने के कारण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आहरण या अनियमितता पर स्वीकृति पत्र में उल्लिखित लागू दर के अतिदेय प्रभार लगेंगे। ऋण की देय राशि (मूलधन या ब्याज या दोनों) के पुनर्भुगतान में चूक या देरी की स्थिति में। उधारकर्ता 12% प्रति वर्ष की दर से अतिदेय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अतिदेय शुल्क समय-समय पर लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, देय राशि के अतिदेय रहने के दिनों तक अतिदेय राशि पर लागू होंगे।
3	लागू शुल्कों की विस्तृत अनुसूची संलग्न है। सेवा शुल्क को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और संशोधित शुल्क उधारकर्ता पर लागू होंगे। उधारकर्ता को इस स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके उपरोक्त को स्वीकार करने वाला माना जाता है।
4	सभी कानूनी दस्तावेज शुल्क, निरीक्षण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क और अन्य आकस्मिक खर्च उधारकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से वहन किए जाएंगे जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

ऋण समझौता

यह समझौता अनुलघक I में वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा अनुलघक I में निर्दिष्ट स्थान और तारीख पर निष्पादित किया गया (इसके बाद संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से संदर्भित किया गया है। उधारकर्ता (ओं)", कौन सी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ या विषय के प्रतिकूल न हो, अन्यथा उसके / उसके संबंधित उत्तराधिकारी (ओं), निष्पादक (ओं) और उत्तराधिकारियों और असाइन करने वाले और उसके तहत शीर्षक का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा) के पक्ष में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (स) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएन: U65900DL2020PLC366027) के तहत पंजीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501 सेलकॉन ऑफिस जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली 110025 और कॉर्पोरेट/प्रधान कार्यालय 2 मंजिल, इंडिया टॉवर जोड़ें, प्लॉट नं. , 6ए सेक्टर 125, नोएडा, उ.प्र. 201303 जैसा कि अनुलघक I में निर्दिष्ट है (इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है। "बैंक" कौन सा शब्द जब तक प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ होगा और इसमें उसका उत्तराधिकारी शामिल होगा और अनुमत असाइन)

जबकि:-

- अ. इस ऋण को के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। (इसके बाद "बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट के रूप में संदर्भित") और बैंक इसके द्वारा व्यवसाय प्रतिनिधि की चूक और कमीशन के कार्यों के लिए उधारकर्ता के प्रति जिम्मेदार है।
- आ. यह ऋण समझौता (इसके बाद "समझौते" के रूप में संदर्भित) (तिथि) के रूप में प्रभावी है और तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस ऋण समझौते के तहत देय सभी राशि उधारकर्ता द्वारा बैंक को पूरी तरह से चुकाई जाती है।
- इ. उधारकर्ता कृषि कार्यों में लगा हुआ है और अपने लाभ के लिए कटाई की गई कृषि फसलों (इसके बाद "वस्तुओं" के रूप में संदर्भित) के कब्जे में है और बैंक से अनुरोध किया है कि वह अनुलघक I में निर्दिष्ट उद्देश्य (ओं) के लिए कार्यशील पूंजी/वित्तीय सहायता प्रदान करे।
- ई. उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध पर बैंक समय-समय पर स्वीकृत ऋण राशि को नवीनीकृत करने, कम करने या बढ़ाने या स्वीकृत ऋण को पूरी तरह से वापस लेने के लिए बैंक को पूर्ण अधिकार के साथ अनुलघक I में वर्णित ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है (इसके बाद सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से "स्वीकृत ऋण/ऋण" के रूप में संदर्भित)।

अब यह समझौता इस प्रकार है:

- परिभाषाएं**
 - अ. "लागू कानून" का अर्थ है कोई भी कानून, राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय, स्थानीय, नगरपालिका, विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय या अन्य कानून, संधि, संहिता, विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, आदेश, डिक्री, उप-कानून, किसी भी सरकारी प्राधिकरण का अनुमोदन, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, आवश्यकता या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी समान रूप के निर्णय या निर्धारण के किसी भी समान रूप, या किसी भी व्याख्या या प्रशासन में किसी भी पूर्वगामी के कानून का बल है विचाराधीन मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला सरकारी प्राधिकरण, चाहे वह इस समझौते की तारीख तक या उसके बाद किसी भी समय प्रभावी हो।
 - आ. "बैंक के कारण शेष" का अर्थ है और इसमें समय-समय पर स्वीकृत ऋण की मूल राशि, व्याज, अतिदेय शुल्क शामिल हैं, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है और सभी लागत, शुल्क, कमीशन और व्यय, जिसमें वृद्धिशील कर, व्याज कर और कोई अन्य संबंधित और परिणामी शुल्क और कर, बीमा प्रीमियम शामिल हैं, जो बैंक ने भुगतान किया हो या खर्च किया हो, जिसमें वस्तुओं के संबंध में और बैंक द्वारा उधारकर्ता के खाते में नियमों के अनुसार डेबिट किए गए आकस्मिक या अन्य प्रभार भी शामिल हैं, या बैंक के उपयोग के अनुसार।
 - इ. "उधारकर्ता" का अर्थ है एक व्यक्ति, मालिक, फर्म या कंपनी जैसा कि अनुलघक I में वर्णित है और, जहां भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, इसमें एक सह-उधारकर्ता शामिल होता है जैसा कि अनुलघक I में निर्दिष्ट किया गया है और इसके बाद सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है।
 - ई. "वस्तुओं" का अर्थ है कटाई की गई कृषि फसलों/कृषि प्रसंस्कृत वस्तुओं/कृषि आदानों जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि, और अन्य गैर-खतरनाक गैर-कृषि वस्तुओं (जैसे आधार धातु) जो उधारकर्ता द्वारा बैंक के साथ गिरवी रखी जाएंगी।
 - उ. "स्वीकृत ऋण" का अर्थ है बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई वित्तीय सहायता और विशेष रूप से अनुलघक I में वर्णित है।
 - ऊ. "व्याज" का अर्थ पार्टियों के बीच सहमत दर पर स्वीकृत ऋण पर प्रभावी राशि होगी और विशेष रूप से अनुलघक I में उल्लिखित है, जो स्वीकृत ऋण की मूल राशि के उपयोग के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा देय ऐसी राशि है।
 - छ. "बाध्यकारी" का अर्थ सामूहिक रूप से उधारकर्ता, गारंटर (ओं) और सुरक्षा प्रदाताओं से होगा।
 - ज. "आरबीआई" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक।
 - ए. "उद्देश्य" का अर्थ है वह उद्देश्य जिसके लिए उधारकर्ताओं द्वारा ऋण का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि अनुलघक I में विशेष रूप से निर्दिष्ट है।
 - ऐ. "प्रतिभूति" का अर्थ होगा कोई भी सुरक्षा हित जो बैंक के पक्ष में बाध्यकर्ताओं द्वारा बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है, इस समझौते के तहत उधारकर्ता के बकाया और उधारकर्ता के सभी दायित्वों के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के इरादे से।
- सामान्य व्याख्या**
 - अ. इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो:
 - आ. शीर्षक केवल सुविधा के लिए डाले गए हैं और इसके प्रावधानों की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे। ग) इस समझौते के संदर्भ में इसका अनुलघक I शामिल होगा,
- स्वीकृत ऋण की शर्तें**
 - एक. बैंक स्वीकृत ऋण के विवरण को दर्ज करने के लिए उधारकर्ता के नाम पर एक खाता खोलेगा, जो बैंक के विवेक पर स्वीकृत ऋण राशि में नवीनीकरण, वृद्धि या कमी के अधीन है। इस खाते (इसके बाद "उक्त खाता" के रूप में संदर्भित) में इस समझौते के निष्पादन पर खोला गया खाता और कोई भी नया खाता शामिल है, जिसे उक्त स्वीकृत ऋण के संबंध में बैंक के विवेक पर खोला जा सकता है, नवीकरण/वृद्धि/कटौती के माध्यम से, बैंक ऋण (खातों) के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए अनुलघक I में निर्दिष्ट उधारकर्ता (ओं) के नाम पर ऋण खाते (खातों) को बनाए रखेगा जैसा कि वे किसी भी स्थिति में हैं। समय दिया गया है।
 - दो. स्वीकृत ऋण के तहत उपलब्ध कराया गया अग्रिम मांग पर चुकाया जा सकता है और बैंक के विवेक पर दिए गए इन अग्रिमों के निमन और शर्तें बिना किसी पूर्व सूचना के समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं। बैंक के पास स्वीकृत ऋण के निबंधन और शर्तों को आह्वार/संशोधित करने या संशोधित करने का अधिकार है और बैंक इस करार के किसी भी निर्धारित निबंधन और शर्तों को पूरा करने में उधारकर्ता की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में स्वीकृत ऋण की पूरी राशि का वितरण करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
 - तीन. उधारकर्ता प्रत्येक स्वीकृत ऋण के तहत बैंक को उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के बराबर अधिकतम राशि तक निकासी करने का हकदार होगा, निर्दिष्ट मार्जिन या स्वीकृत ऋण की अधिकतम राशि, जैसा कि अनुलघक I में निर्दिष्ट है, जो भी कम हो। ऐसा मूल्य उधारकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की माला पर आधारित होगा, जैसा कि गोदाम रसीद परियों और/या बैंक को वस्तुओं की गिरवी रखने और उक्त वस्तुओं के लिए प्रस्तावित बाजार मूल्य का प्रमाण देने वाले अन्य दस्तावेजों में दर्शाया गया है।
 - चार. उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है:
 - (क) कि स्वीकृत ऋण का संवितरण पृथक ऋण खातों के माध्यम से किया जाएगा और बैंक अपने विवेकाधिकार से कुल स्वीकृत ऋण के बदले खोले जाने वाले प्रत्येक ऋण खाते की संख्या और राशि का निर्णय कर सकेगा।
 - (ख) स्वीकृत ऋण का संवितरण बैंक द्वारा निर्दिष्ट या सूचित किए गए आवश्यक गोदाम रसीदों और अन्य दस्तावेजों को जमा करने पर किया जाएगा। संवितरण बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के सत्यापन और सत्यापन पर निर्भर करता है, और बैंक आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - (घ) यदि उधारकर्ता कोई आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, या यदि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज या जानकारी असंतोषजनक मानी जाती है, तो बैंक बिना किसी देयता के ऋण के वितरण को रोकने, देरी करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - पाँच. उधारकर्ता प्रत्येक ऋण राशि पर व्याज का भुगतान अनुलघक I में निर्दिष्ट दर पर करेगा, जिसकी गणना अनुलघक I में निर्दिष्ट वार्षिक दरों के साथ उक्त खाते में दैनिक डेबिट शेष पर की गई है और समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। इस तरह के व्याज का भुगतान उक्त ऋण के पुनर्भुगतान के साथ किया जाएगा जैसा कि अनुलघक I में निर्दिष्ट है।
 - छ. बैंक द्वारा भुगतान किए जाने पर बैंक बीमा प्रीमियम सहित अन्य सभी लागू शुल्कों के साथ खाते को डेबिट करने का हकदार होगा।
 - सात. ऋण की देय राशि (मूलधन या व्याज या दोनों) के पुनर्भुगतान में चूक या देरी की स्थिति में, उधारकर्ता समय-समय पर लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, राशि अतिदेय राशि पर 12% प्रति वर्ष पर अतिदेय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - आठ. उधारकर्ता बैंक से मांग पर "बैंक को देय शेष" का भुगतान करेगा। किसी भी समय बैंक के कारण शेष राशि की मांग करने के लिए बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता एतद्वारा उक्त स्वीकृत ऋण के संबंध में उक्त खाते के तहत आह्वित और/या बकाया सभी राशियों को व्याज, दंडात्मक शुल्क और इस समझौते के तहत देय अन्य राशियों के साथ निर्धारित तिथि (ओं) पर चुकाने के लिए सहमत हैं।
 - नौ. बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, और उधारकर्ता (ओं) के अनुरोध पर, इसके तहत उधारकर्ता (ओं) के लिए उपलब्ध स्वीकृत ऋण को बढ़ा, विस्तारित या नवीनीकृत कर सकता है। स्वीकृत ऋण की ऐसी कोई भी वृद्धि, विस्तार या नवीनीकरण यहां की शर्तों और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।
 - दस. समझौता और प्रतिभूतियाँ और उसके अनुसार निष्पादित सभी दस्तावेज निष्पादन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होंगे और स्वीकृत ऋण के किसी भी विस्तार/नवीनीकरण/वृद्धि को कवर करने के लिए समझा जाएगा जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है। स्वीकृत ऋण को बैंक के विवेक पर नवीनीकृत/बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के नवीकरण/वृद्धि के अनुसरण में निबंधन और शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना बैंक/उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों द्वारा लिखित रूप में उधारकर्ता (ओं) को सात (7) दिन की अग्रिम सूचना देकर दी जाएगी। उधारकर्ता (ओं) को इस तरह की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैंक/उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को नवीकृत स्वीकृत ऋण और परिवर्तित नियमों और शर्तों की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। उधारकर्ता द्वारा नवीकरण की स्वीकृति न होने की स्थिति में या स्वीकृति को पूर्वोक्त रूप से सूचित नहीं किया जाता है, ऐसे नवीकरण/वृद्धि को रद्द माना जाएगा।
 - ग्यारह. बैंक के पास बैंक के साथ उधारकर्ता (ओं) से संबंधित सभी धन, प्रतिभूतियाँ, जमा और अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर एक सर्वोपरि शुल्क, ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ करने का अधिकार होगा। बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, बैंक किसी भी अन्य धन के भुगतान या परिसमापन के लिए उपरोक्त धन, प्रतिभूतियाँ, जमा या किसी भी अन्य संपत्ति और संपत्ति को सेट ऑफ, समायोजित या अन्यथा उपयुक्त करने का हकदार होगा, जो उधारकर्ता (ओं) से देय है या हो सकता है।
 - बारह. स्वीकृत ऋण राशि सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई वस्तुओं के मूल्य के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आवेदन पत्र या वेयरहाउस रसीदों में निर्दिष्ट ऐसी वस्तुओं के लिए लागू सुरक्षा मार्जिन द्वारा कम किया गया है, यदि किसी भी समय बैंक के पक्ष में सुरक्षित वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है और सुरक्षा मार्जिन की आवश्यकता में कमी हो जाती है या बैंक के कारण शेष राशि कम हो जाती है। प्रतिभूति मार्जिन, उधारकर्ता/उधारकर्ता बैंक से सूचना मिलने पर इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैंक को स्वीकार्य अतिरिक्त प्रतिभूति के पक्ष में प्रस्तुत करेगा/सृजित करेगा, जिसमें विफल रहने पर बैंक अपने विवेक से बैंक के पक्ष में बनाई गई किसी या सभी प्रतिभूति को बेच सकता है, उसका निपटान कर सकता है या वसूल कर सकता है, और इसके अलावा किसी भी शेष राशि/अतिरिक्त राशि के लिए उधारकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो स्वीकृत ऋण के संबंध में बकाया हो सकती है।

तेरह. कर्मोडिटी उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय सभी राशियों के लिए एक सतत प्रतिभूति होगी जब तक कि स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता (ओं) द्वारा देय सभी राशियां बैंक की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती हैं। कर्मोडिटीज बैंक द्वारा धारित किसी भी अन्य सुरक्षा या ग्रहणाधिकार या प्रभार के अलावा एक प्रतिभूति होगी या जिसके लिए बैंक हकदार है।

चौदह. उधारकर्ता वस्तुओं के संबंध में गोदाम रसीद पर्याप्त जमा करने के लिए सहमत होते हैं, और वस्तुओं के संबंध में अन्य सभी गिरवी दस्तावेज जमा करते हैं और/या बैंक / उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों के साथ वस्तुओं की गिरवी रखने के लिए सहमत होते हैं जो बैंक के लिए और उसकी ओर से उक्त दस्तावेज रखेंगे।

पंद्रह. उधारकर्ता, बैंक की लिखित अनुमति के बिना, किसी भी प्रभार/ग्रहणाधिकार/तीसरे पक्ष के हित को नहीं बेचेगा, सृजित नहीं करेगा/अनुमति नहीं देगा, या अन्यथा वस्तुओं के कब्जे/स्वामित्व के साथ भाग नहीं करेगा। जहां बैंक द्वारा उधारकर्ता को कृषि उपज के विक्री/निपटान के लिए ऐसी अनुमति दी गई है, वहां बेची गई ऐसी उपज के मूल्य का भुगतान स्वीकृत ऋण के पुनर्भुगतान के लिए बैंक को तुरंत किया जाएगा।

सोलह. यह उधारकर्ता का कर्तव्य होगा कि वह वस्तुओं की सुरक्षा और लगे समय से प्रबंधन करे और वस्तुओं की गुणवत्ता को संरक्षित करने, संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक सब कुछ करेगा। यदि उधारकर्ता के अपने परिसर के अलावा अन्य स्थानों में संग्रहीत किया जाता है, तो उधारकर्ता उपज के ऐसे मूल्य की रक्षा के लिए उपज के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा। जब भी बैंक द्वारा आवश्यकता होती है, उधारकर्ता बैंक या उसके किसी भी अधिकारी/उसके एजेंट/प्रतिनिधि या नामितियों को वस्तु के शीर्षक को हस्तांतरित करने और प्रभावी ढंग से निहित करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा। उधारकर्ता बैंक को वस्तुओं की वास्तविक स्थिति के बारे में सूचित करेगा। बैंक उधारकर्ता की लागत और व्यय पर समय-समय पर वस्तुओं का निरीक्षण करने का हकदार होगा।

सत्रह. उधारकर्ता उक्त वस्तुओं और उन परिसरों के संबंध में सभी आउटगोइंग/करो/प्रभारों का समय पर भुगतान करेगा जहां वस्तुओं का भंडारण किया जाता है।

अठारह. बैंक और उसके अधिकारी या प्रतिनिधि किसी भी समय या समय-समय पर, उधारकर्ता (ओं) को नोटिस किए बिना, लेकिन उधारकर्ता (ओं) के जोखिमों और खर्चों पर और यदि आवश्यक हो, तो उधारकर्ता (ओं) के लिए और उनके नाम पर उधारकर्ता (ओं) के वकीलों के रूप में, उन स्थानों पर प्रवेश करने के लिए जहां वस्तुओं को संग्रहीत किया जाता है और इन्वेंट्री का निरीक्षण करने और लेने के लिए और या कब्जा लेने के लिए, वस्तुओं को पुनर्प्राप्त करना और प्राप्त करना और या सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा बेचना या अन्यथा वस्तुओं के सभी या किसी भी हिस्से का निपटान करना या सीढ़ा करना और उपरोक्त किसी भी अधिकार को लागू करना, वसूलना, निपटाना, समझौता करना और इन शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने के लिए बाध्य किए बिना या उसके प्रयोग में किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होने के बिना और बैंक के अधिकारों और उधारकर्ता के खिलाफ मुकदमे के उपायों के बिना और इस तरह की विक्री/राशि की शुद्ध आय को बैंक के कारण शेष राशि के परिसमापन में या उसके लिए लागू करें और उधारकर्ता वस्तुद्वारा विक्री/और या वसूली के संबंध में बैंक के खाते को अंतिम के रूप में स्वीकार करने और उसमें किसी भी कमी या कमी के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

उत्तीस. उपर दी गई किसी भी चीज से ऋण को प्रभावित नहीं किया जाएगा, ऋण स्वीकृत किया जाएगा या बैंक के अधिकार को ऋण स्वीकृत या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा/या उनकी संपत्तियों या गारंटर / या उनकी संपत्तियों से व्यक्तिगत रूप से वसूली करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही सभी या कोई भी वस्तु बेची या वसूल नहीं की गई हो। वस्तुओं की सुरक्षा बैंक के किसी अन्य अधिकार/और उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी।

4. डिफॉल्ट की घटनाएं

डिफॉल्ट की घटना को घटित माना जाएगा, यदि उधारकर्ता:

- इस समझौते के तहत किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, वाचा, उपक्रम या दायित्वों का उल्लंघन/गैर-प्रदर्शन करता है और वस्तुओं की गिरवी रखने से संबंधित स्वीकृत ऋण दस्तावेज (दस्तावेजों को जमा न करना या उसके निष्पादन सहित), या किसी भी उधारकर्ता और गारंटर द्वारा बैंक को दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन, यदि बैंक द्वारा सामग्री समझा जाता है।
- बकाया राशि (या उसके हिस्से) या किसी भी किराओं या किसी भी अन्य राशि को चुकाने में विफल रहता है और उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय और देय है, इस समझौते में निर्धारित तरीके से और ऐसी विफलता 15 दिनों तक जारी रहती है; या दिवालियापन का कार्य करता है या लेनदारों के लाभ के लिए असाइनमेंट करता है या एक रिसीवर को नियुक्त किया जाता है, या उधारकर्ता के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की जाती है; या
- उधारकर्ता द्वारा बैंक को उल्लिखित कोई भी जानकारी उसमें बताए गए किसी भी भौतिक तथ्य में गलत या अधूरी पाई जाती है, या
- बैंक की राय में सुरक्षा खतरे में है।
- कोई भी घटना, जो समय-समय के साथ, डिफॉल्ट की घटना बनने की संभावना है।

5. डिफॉल्ट की घटना के परिणाम:

5.1 चूक की किसी भी घटना के घटित होने पर, बैंक अपने विवेकाधिकार पर, इस समझौते के तहत अन्य अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी एक या सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है:

- ऋण दस्तावेजों और इस समझौते को समाप्त करें और स्वीकृत ऋण रद्द करें।
- बैंक को देय स्वीकृत ऋण/शेष राशि को तुरंत देय और देय घोषित करें, और यदि उधारकर्ता उसके 15 दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक अपनी सुरक्षा को लागू कर सकता है और किसी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो लागू कानूनों के तहत उसे उपलब्ध हो सकता है, उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को कोई और सूचना दिए बिना। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को लागू करने और उसे ऐसी कीमत पर बेचने के लिए उधारकर्ता के प्रति किसी दायित्व के बिना स्वतंत्र है जिसे बैंक प्रचलित बाजार मूल्य पर उचित समझे।
- लेवी डिफॉल्ट ब्याज अतिदेय राशि पर उस दिनांक से जब डिफॉल्ट की घटना होती है जब तक कि डिफॉल्ट की घटना मौजूद होने के लिए समाप्त हो जाती है।
- लागू कानून के तहत बैंक के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग करें।

5.2 बैंक स्वीकृत ऋण को समाप्त करने या बिना कोई कारण बताए या कोई नोटिस दिए किसी भी संवितरण को रोकने/रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है, उसमें निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों का गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में और समय-समय पर प्रासंगिक दस्तावेज या बैंक को प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी/विवरण में भी गलत पाया गया है या किसी भी विकास या स्थिति के मामले में जिसमें, बैंक की राय में, इस तरह की निरंतरता और संवितरण से ब्याज को पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित किया जाना है।

6. उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व, उपक्रम, घोषणा

- उधारकर्ता हर समय और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ बीमित वस्तुओं को रखेगा, जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक हो सकता है और बैंक के पक्ष में विधिवत सौंपी गई ऐसी पॉलिसियां बैंक को वितरित करेगा। ऐसे किसी भी बीमा की आय, बैंक के विवेक पर, या तो वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए या बैंक के देय शेष की संतुष्टि के लिए लागू होगी।
- उधारकर्ता बैंक के अनुमोदन के बिना इस करार और किसी भी संबंधित दस्तावेज/प्रतिभूतियों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकारों, लाभों या दायित्वों को असाइन या हस्तांतरित नहीं करेगा। हालांकि, बैंक को किसी भी तरह से, पूरे या आंशिक रूप से, बकाया और बकाया राशि को किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने, आवंटित करने, प्रतिभूतियों को बेचने या बेचने का अधिकार है, उधारकर्ता (ओं) को संदर्भ या सूचना दिए बिना और ऐसे किसी भी हस्तांतरण/असाइनमेंट/विक्री/प्रतिभूतिकरण निर्णायक रूप से उधारकर्ता (ओं) और अन्य सभी व्यक्तियों को बाध्य करेगा।
- उधारकर्ता एतद्वारा बैंक और उसके प्रतिनिधियों को इस समझौते से संबंधित और इसमें निहित उधारकर्ता के ऋण विवरण और पुनर्भुगतान इतिहास की जानकारी से संबंधित सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान, साक्षा या भाग लेने के लिए अधिकृत करता है और बैंक और उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को उपरोक्त जानकारी के उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराने का वचन देता है।
- "उधारकर्ता को बैंक द्वारा खोले गए उधारकर्ता के एकाधिक ऋण खातों (खातों) के प्रकटीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, जब भी आवश्यक हो।
- उधारकर्ता एतद्वारा इस बात से सहमत है कि यदि उधारकर्ता मूल राशि या स्वीकृत ऋण या उस पर देय ब्याज/प्रभारों के भुगतान या पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो बैंक और/या संबंधित प्राधिकारियों और नियामकों के पास विवरण या डिफॉल्ट और नाम या उधारकर्ता (ओं) का खुलासा करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा। जैसा लागू हो, चूककर्ताओं के रूप में इस तरह से और ऐसे माध्यम से जैसे बैंक या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझ सकते हैं।
- उधारकर्ता एतद्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि वस्तुओं की पेशकश नहीं की गई है/किसी भी पूर्व-फसल ऋण/कटाई के बाद के ऋण या उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी अन्य ऋण/अग्रिम के लिए प्रतिभूति नहीं है। इस समझौते और इसमें निहित सुरक्षा का उद्देश्य सभी ऋण सुविधाओं/ऋण सहायता, ऋणग्रस्तता और बैंक को उधारकर्ता की देनदारियों के लिए एक सतत सुरक्षा के रूप में कार्य करना है, इसके बावजूद:
 - किसी भी समय खातों में क्रेडिट बैलेंस या "शून्य" शेष राशि का अस्तित्व या खातों का कोई आंशिक भुगतान या उतार-चढ़ाव; या
 - किसी भी स्वीकृत ऋण या उसके किसी भी हिस्से को बैंक द्वारा मांग किए जाने के बाद या अन्यथा चुकाया गया है या मांग पर पुनर्भुगतान नहीं किया गया है।

स्वीकृत ऋण इसके अनुलग्नक I (ओं) में निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन भी होगा, और जैसा कि समय-समय पर उधारकर्ता को अधिसूचित किया गया है।

- उधारकर्ता एतद्वारा इस बात से सहमत है कि ऋण राशि के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा किसी भी पुनर्भुगतान को बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर किसी एक या अधिक ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।
- उधारकर्ता बैंक को प्राधिकृत करता है: (ए) किसी भी समय उधारकर्ता के सभी या किसी भी खाते और देनदारियों को किसी भी शाखा के साथ संयोजित या समेकित करने के लिए; (ख) बैंक द्वारा धारित किसी भी उधारकर्ता की प्रतिभूतियों को सार्वजनिक या निजी विक्री के माध्यम से सार्वजनिक या निजी विक्री के माध्यम से बेचने के लिए और उधारकर्ता से बैंक को बकाया कुल राशियों से प्राप्त आय से बनाए रखना/उचित करना, जिसमें ऐसी विक्री के संबंध में लागत और व्यय शामिल हैं; और (ग) क्रॉस कॉरेंसी सेट-ऑफ के मामले में, बैंक के विवेकाधिकार पर निर्धारित दर पर एक मुद्रा में एक दायित्व को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए।

7. दंड शुल्क और अन्य शुल्क: -

- भुगतान के लिए चूक में सभी राशियां, ईएमआई/किस्त या ब्याज के देरी या गैर-भुगतान के कारण, जिसमें कोई लागत, शुल्क और व्यय शामिल हैं या चूक की किसी अन्य घटना के कारण ऋण/आहरण खाते में डेबिट किया जाएगा और ऐसे मामले में बैंक दंड शुल्क और अन्य प्रभार भी लगाएगा जैसा कि लागू होगा और स्वीकृत पत्र और ऋण समझौते में निर्धारित अवधि के लिए उक्त ऋण/आहरण खाते में ऋण समझौते में निर्धारित किया गया है इसके लिए कोई कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता के बिना चूक की जाती है, जिसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- हालांकि, यदि उधारकर्ता भुगतान के लिए डिफॉल्ट रूप से उपरोक्त जमा का भुगतान करने में विफल रहता है या ऐसे भुगतानों की नियत तारीख से 90 दिनों के भीतर बैंक द्वारा लगाए गए दंड शुल्क और अन्य प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में उक्त ऋण/आहरण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ("एनपीए") के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- उक्त ऋण/आहरण खाते को नियमित करने के लिए, उधारकर्ता उपरोक्त सभी राशियों का भुगतान डिफॉल्ट और/या दंडात्मक शुल्क और अन्य शुल्कों में, जैसा भी मामला हो, [तत्काल आधार पर] करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. क्षतिपूर्ति

उधारकर्ता, चाहे यहां विचार किए गए लेन-देन समाप्त हो गए हों या नहीं, बैंक और उनके संबंधित अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, वकीलों और एजेंटों में से प्रत्येक को क्षतिपूर्ति करेगा और उनमें से प्रत्येक को किसी भी और सभी देनदारियों, दायित्वों, हानि, क्षति, दंड, दावे, कार्रवाई, निर्णय, मुकदमे, लागत, व्यय और संवितरण के परिणामस्वरूप हानिरहित ठहराएगा, या स्वीकृत ऋण/ऋण दस्तावेज (दस्तावेजों) से संबंधित मुकदमेबाजी या अन्य कार्यवाही (चाहे बैंक उसका एक पक्ष हो या नहीं) से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकता है या ऋण की आय का संवितरण, या उपयोग या यहां या किसी भी ऋण दस्तावेज में विचार किए गए किसी भी लेनदेन के कार्यान्वयन या समाप्ति से संबंधित है, सहित, बिना किसी सीमा के, डिफॉल्ट की घटना पर, वकील और ऐसे क्षतिपूर्ति पार्टी द्वारा चुने गए किसी भी सलाहकार की उचित फीस और संवितरण इस तरह की किसी भी जांच या किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में या इस खंड के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में (लेकिन इस तरह की किसी भी देनदारियों को छोड़कर, नुकसान, दंड, नित्य, मुकदमे, लागत, खर्च और संवितरण की घोर लापरवाही या जाबजूदकर कदाचार के कारण होने की सीमा तक क्षतिपूर्ति व्यक्ति, जैसा कि एक सक्षम अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है)।

9. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

9.1 यह ऋण करार, और उनसे उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी दायित्व, भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि इस ऋण समझौते के अनुसरण में किए गए लेन-देन से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावे, मतभेद और विवाद, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि ब्याज इस तरह के लेन-देन, लेनदेन किए गए हैं या नहीं, केवल नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

9. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

- 9.1 यह ऋण करार, और उनसे उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित सभी दायित्व, भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि इस ऋण समझौते के अनुसरण में किए गए लेन-देन से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी दावे, मतभेद और विवाद, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या इस तरह के लेन-देन, लेनदेन किए गए हैं या नहीं, केवल नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। इस समझौते/नियम और शर्तों या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी संबंधित लेन-देन, या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, विवाद या दावों को पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और एक स्वतंत्र और तटस्थ द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से संचालित और प्रशासित किया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार "ज्युपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" नामक तृतीय-पक्ष संस्थान और "ज्युपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के संयोजन के साथ, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और वेबसाइट पर होस्ट किया गया arbitration.jupitice.com "ज्युपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा अनुरक्षित है। विवाद पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा, 1996, और "ज्युपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" के नियम। मध्यस्थता कार्यवाही की सीट नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, भारत होगी। मध्यस्थता की सभी लागतें दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुरस्कार अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। ज्युपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ के चयन में बैंक का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

अ. विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण

- (१) बकाया: ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/किसी भी शुल्क का अर्थ होगा जो ऋण की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय है।
- (२) अतिदेय: ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/किसी भी शुल्क का अर्थ होगा जो देय है लेकिन स्वीकृत ऋण की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी स्वीकृत ऋण के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'अतिदेय' है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि तक नहीं किया जाता है।
- (३) उधारकर्ता के खाते में भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (एफआईएफओ) के सिद्धांत की प्रासंगिकता: एफआईएफओ का सिद्धांत यानी 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति एसएमए/एनपीए स्थिति का निर्धारण करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक है। फीफो सिद्धांत मानता है कि ऋण खाते में सबसे पुराने बकाया को पहले चुकाने की आवश्यकता है। इस प्रकार फीफो पद्धति के लिए आवश्यक है कि जो पहले देय है उसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि 01-02-2021 तक किसी भी ऋण खाते में, कोई अतिदेय नहीं है और मूल किस्त/ब्याज/शुल्क के भुगतान के लिए INR X की राशि देय है, तो ऋण खाते में 01-02-2021 को या उसके बाद जमा किए जा रहे किसी भी भुगतान का उपयोग 01-02-2021 को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। यह मानते हुए कि फरवरी के महीने के दौरान बकाया राशि का आंशिक भुगतान (INR Y) नहीं किया गया है, 01-03-2021 को अतिदेय INR X - INR Y होगा। इसके अतिरिक्त, INR Z की राशि 01-03-2021 को देय हो जाती है। अब 01-03-2021 को या उसके बाद खाते में किसी भी भुगतान आंशिक भुगतान का उपयोग पहले 01-02-2021 (INR X - INR Y) के आंशिक देय भुगतान के लिए किया जाएगा। यदि INR X - INR Y से अधिक वसूली होती है, तो 01-02-2021 की बकाया राशि की वसूली के बाद, शेष राशि को 01-03-2021 की देय राशि के रूप में माना जाएगा।

(४) सबसे पुराने बकाया की आयु:

- सबसे पुराने बकाया की आयु की गणना उस तारीख से दिनों में की जाती है जिस दिन सबसे पुराना भुगतान देय होता है और भुगतान नहीं किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में, यदि 01-02-2021 से संबंधित बकाया राशि 01-03-2021 तक अवैतनिक रहती है, तो सबसे पुराने बकाया राशि की आयु 02-03-2021 को 29 दिन मानी जाती है।

आ. विशेष उल्लेख खाता (SMA) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकरण

ऋण देने वाली संस्थाएं ऋण खातों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके ऋण खातों में शुरुआती दबाव को तुरंत पहचानेंगे। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:

प्रक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण		नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में ऋण	
एसएमए उप श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से ओवरड्यू	एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण के लिए आधार – बकाया शेष राशि स्वीकृत ऋण या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक की अवधि के लिए लगातार बनी रहती है:
एसएमए 0	30 दिनों तक	एनए	एनए
एसएमए 1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए 1	30 दिन से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए 2	61 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए 2	61 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

इ. गैर-निष्पादित संपत्ति:

- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहां:
- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है,
 - खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है जैसा कि नीचे बताया गया है, ओवरड्राफ्ट/क्रेडिट (ओडी/सीडी) के संबंध में,
 - खरीदे गए और छूट दिए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
 - अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन अथवा ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है
 - लंबी अवधि की फसलों के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण) निदेश, 2021 के संदर्भ में किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में स्वीकृत ऋण की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
 - डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, एक डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्ति, यदि ये भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक रहती है।

देय राशि का भुगतान न करने और बाद में दिन के अंत की प्रक्रिया में मानक श्रेणी में उन्नयन के आधार पर एसएमए श्रेणी में एक खाते का एनपीए श्रेणी में परिवर्तन:

भुगतान की देय तिथि	भुगतान की तारीख	भुगतान कवर	में सबसे पुराने बकाये की आयु दिन	एसएमए /एनपीए वर्गीकरण	एसएमए चूंकि दिनांक /एसएमए कक्षा की तारीख	एनपीए वर्गीकरण	एनपीए तारीख
01.01.2022	01.01.2022	संपूर्ण बकाया 01.01.2022 तक	0	NIL	NA	NA	NA
01.02.2022	01.02.2022	कोई भुगतान या आंशिक रूप से भुगतान किया गया बकाया नहीं 01.02.2022 की संख्या	1	SMA-0	01.02.2022	NA	NA
01.02.2022	02.02.2022	कोई भुगतान या 01.02.2022 की आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया	2	SMA-0	01.02.2022	NA	NA
01.03.2022		बकाया का 01.02.2022 नहीं यथासंभव अधिकतम भुगतान 01.03.2022 है इंडोडी 01.03.2022 पर भी देय	29	SMA-0	01.02.2022	NA	NA
		बकाया का 01.02.2022 पूरी तरह से भुगतान, 01.03.2022 के लिए देय इंडोडी 01.03.2022 पर भुगतान नहीं किया गया	1	SMA-0	01.03.2022	NA	NA

		का कोई भुगतान नहीं आमने-सामने बकायादिनांक 01.02.2022 और 01.03.2022 पर ईओडी 03.03.2022	31	SMA-1	01.02.2022 / 03.03.2022	NA	NA
		बकाया का 01.02.2022 पूरी तरह से भुगतान, देय 01.03.2022 नहीं ईओडी 01.03.2022 पर पूरी तरह से भुगतान किया गया	1	SMA-0	01.03.2022	NA	NA
01.04.2022		बकाया राशि का भुगतान नहीं का 01.02.2022, 01.03.2022 और 01.04.2022 को बकाया राशि पर ईओडी 01.04.2022	60	SMA-1	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		का कोई भुगतान नहीं बकाया का 01.02.2022 जब तक 01.04.2022 पर ईओडी 02.04.2022	61	SMA-2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
01.05.2022		का कोई भुगतान नहीं बकाया का 01.02.2022 जब तक 01.05.2022 पर ईओडी 01.05.2022	90	SMA-2	01.02.2022 / 02.04.2022	NA	NA
		बकाया राशि का भुगतान नहीं का 01.02.2022 जब तक 01.05.2022 पर ईओडी 02.05.2022	91	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	पूरी तरह से भुगतान किया गया बकाया 01.02.2022 को ईओडी 01.06.2022	93	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	पूरे बकाया का भुगतान किया 01.03.2022 की अवधि और 01.04.2022 पर ईओडी 01.07.2022	62	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	पूरे बकाया का भुगतान किया 01.05.2022 की अवधि और 01.06.2022 पर ईओडी 01.08.2022	32	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	पूरे बकाया का भुगतान किया 01.07.2022 की अवधि और 01.08.2022 पर ईओडी 01.09.2022	1	NPA	NA	NPA	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	पूरे बकाया का भुगतान किया 01.09.2022 की अवधि और 01.10.2022	0	Standard Account with No Overdues	NA	NPA	STD from 01.10.2022

- ई. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि उपरोक्त उप-खंड (ए) से (डी) में प्रदान किए गए एसएमए और एनपीए के वर्गीकरण और चिह्नण का तरीका जिसमें बैंक को आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है और:
- अ. समय-समय पर जारी किए गए मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलने/संशोधित करने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के किसी भी परिवर्तन को बैंक द्वारा समय-समय पर उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा और उधारकर्ता सहमत होता है और स्वीकार करता है कि इस तरह की सूचना तदनुसार उपक्रम में और संशोधन की आवश्यकता के बिना यहां प्रदान किए गए तरीके और दृष्टांतों को संशोधित करेगी या उधारकर्ता की विशिष्ट पावती की आवश्यकता होगी; तथा
- आ. बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के साथ उधारकर्ता के खाते को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार होगा, भले ही वर्गीकरण का तरीका और उसके उदाहरण इस उपक्रम या स्वीकृति पत्र (पत्रों) में निर्धारित नहीं किए गए हों।

3. दिवालियापन:

- अ. उधारकर्ता अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या असमर्थता स्वीकार करता है क्योंकि वे देय हैं, अपने किसी भी ऋण पर भुगतान करने को निलंबित कर देता है या, वास्तविक या प्रत्याशित वित्तीय कठिनाइयों के कारण, अपने किसी भी ऋणग्रस्तता को पुनर्निर्धारित करने की दृष्टि से अपने एक या अधिक लेनदारों के साथ बातचीत शुरू करता है।
- आ. उधारकर्ता की संपत्ति का मूल्य उसकी देनदारियों (आकस्मिक और संभावित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए) से कम है।
- इ. उधारकर्ता की किसी भी ऋणग्रस्तता के संबंध में एक अधिस्थगन घोषित किया जाता है।
- ई. जहां एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है या किसी भी कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य कानूनी प्रक्रिया को उधारकर्ता के खिलाफ धमकाया जाता है, लागू किया जाता है या लगाया जाता है।

11. दिवाला कार्यवाही:

कोई भी कॉर्पोरेट कार्रवाई, कानूनी कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया या कदम निम्नलिखित के संबंध में उठाया जाता है:

- अ. भुगतान का निलंबन, किसी भी ऋण प्रस्तुता का स्थगन, परिसमापन, विघटन, प्रशासन या पुनर्गठन (स्वैच्छिक व्यवस्था के माध्यम से, व्यवस्था की योजना या अन्यथा); उधारकर्ता के किसी भी लेनदार के साथ एक संरचना, असाइनमेंट या व्यवस्था उधारकर्ता या उसकी किसी भी संपत्ति के किसी भी पक्ष के संबंध में इन परिसमापक, प्रशासक, प्रशासनिक या अन्य रिस्कीवर, अनिवार्य प्रबंधक या अन्य समान अधिकारी की नियुक्ति।

12. विच्छेदनीयता:

यदि किसी भी समय इस ऋण समझौते का कोई भी हिस्सा किसी भी अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत किसी भी संबंध में अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या हो जाता है, तो न तो यहाँ निहित शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता और न ही किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून के तहत इस तरह के प्रावधान की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित और/या बिगड़ा होगा।

13. समाप्ति

उधारकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि इस ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता की ओर से कोई भी कार्रवाई/चुक्, जो डिफॉल्ट की घटना का गठन करती है, बैंक को इस ऋण को समाप्त करने/रद्द करने का अधिकार देगी। ऐसे मामले में, किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक, सूचना के साथ या बिना, इस ऋण समझौते को समाप्त कर सकता है और/या बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए किसी भी सुरक्षा को लागू कर सकता है और/या उधारकर्ता द्वारा ऋण/बकाया राशि की मांग/तत्काल मांग कर सकता है। उधारकर्ता को किसी भी स्थिति में इन ऋण समझौतों को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि इस ऋण समझौते के तहत बैंक को देय संपूर्ण बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

14. फेयर प्रैक्टिस कोड:-

बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित बैंकों के लिए उचित व्यवहार संहिता ऋण पर लागू होगी। फेयर प्रैक्टिस कोड की प्रति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस कोड पॉलिसी - रेगुलेटरी सेक्शन | शिवालिक बैंक

15. क्रेडिट जानकारी

उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को स्वीकृत ऋण प्रदान करने और उसके संबंधों में गारंटी प्रस्तुत करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, बैंक को स्वीकृत ऋण के लिए स्वीकृत ऋण के उधारकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है/बैंक द्वारा ऋणी से संबंधित जानकारी के बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए, किसी भी स्वीकृत ऋण का लाभ उठाया जाना है, उधारकर्ता द्वारा, उसके संबंध में उधारकर्ता द्वारा ग्रहण किए गए दायित्व और डिफॉल्ट, यदि कोई हो, उसके निर्वहन में प्रतिबद्ध है। तदनुसार, उधारकर्ता एतद्वारा सहमत होता है और बैंक द्वारा सभी या ऐसे किसी भी तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है:

- क) उधारकर्ता से संबंधित सूचना और डेटा
ख) बैंक द्वारा दिए गए किसी भी स्वीकृत ऋण में उधारकर्ता के दायित्व से संबंधित जानकारी या डेटा
ग) डिफॉल्ट, यदि उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के दायित्व के निर्वहन में कोई प्रतिबद्ध है, जैसा कि बैंक क्रेडिट सूचना एजेंसियों और आरबीआई द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट करने और प्रस्तुत करने के लिए उचित और आवश्यक समझे।

उधारकर्ता घोषणा करता है कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को दी गई जानकारी और डेटा सही और सही हैं। उधारकर्ता यह कार्य करता है -

1. ऋण सूचना एजेंसियां और कोई अन्य एजेंसी इस प्रकार अधिकृत बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और तारीख का उपयोग कर सकती है, उनके द्वारा उचित समझी जाने वाली विधि से संसाधित कर सकती है और
2. ऋण सूचना एजेंसियां और इस प्रकार प्राधिकृत अन्य एजेंसी, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋण अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उसके उत्पादों को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

16. विविध प्रावधान

- 16.1 इसके तहत कोई भी नोटिस, मांग, विवरण या संचार लिखित रूप में होगा, जिस पर बैंक के अधिकारियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उधारकर्ता (ओं) के पते पर व्यक्तिगत रूप से, पंजीकृत डाक, कूरियर, टेलीफैक्स, प्रतिकृति या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य लिखित या रिकॉर्ड किए गए रूप में वितरित किया जाना चाहिए; और नोटिस, मांग, बयान या संचार प्रभावी होगा और उधारकर्ता को विधिवत और पर्याप्त रूप से परोसा गया माना जाएगा, दो दिन बाद इसे डाकघर/कूरियर कार्यालय को ठीक से उधारकर्ता को उल्लिखित पते पर संबोधित किया जाएगा और यदि पावती के खिलाफ उधारकर्ता को दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि डिलीवरी की तारीख को विधिवत सेवा दी गई है।
- 16.2 व्यवसाय से संबंधित सभी निर्देश और पताचार जो उधारकर्ता के पास बैंक के साथ हो सकते हैं, उधारकर्ता के जोखिम पर भेजे जाने हैं और बैंक किसी भी अशुद्धि, रुकावट, त्रुटि या देरी या पोस्ट, कूरियर, टेलीग्राफ, केबल, टेलेक्स, या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य लिखित रूप द्वारा प्रसारण या वितरण में पूर्ण विफलता के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं लेता है।
- 16.3 उधारकर्ता सहमत होता है और पुष्टि करता है कि जब तक उधारकर्ता (ओं) ने उधारकर्ता द्वारा देय सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया है, तब तक बैंक उधारकर्ता (ओं) से संबंधित सभी धन पर कानून में उपलब्ध सामान्य ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग करेगा। बैंक या उसके नामांकित व्यक्तियों के कब्जे में समय-समय पर उधारकर्ता (ओं) की प्रतिभूतियां, जमा और अन्य परिसंपत्तियां और संपत्तियां, चाहे वह सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंक द्वारा आयोजित की गई हो या अन्यथा।
- 16.4 बैंक के पास एक सामान्य ग्रहणाधिकार होगा और वह उधारकर्ता/बैंक के कब्जे में किसी भी देनदार (उधारकर्ताओं) से संबंधित सभी धन, प्रतिभूतियों, जमाशियों और अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों को उचित और निर्धारित करने का हकदार होगा, चाहे वह बैंक में हो या उसके खाते में हो या अन्यथा उधारकर्ता (ओं) द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य के साथ रखा गया हो और उधारकर्ता (ओं) के देय देय ऋणकर्ताओं के देय के निपटान के लिए उपयोग किया जा सकता है इसके तहत बैंक या उधारकर्ता (ओं) की अन्य ऋणप्रस्तुता। उधारकर्ता का कहना है कि उन्होंने इसके लिए संयुक्त धारकों (यदि लागू हो) की लिखित सहमति प्राप्त कर ली है/प्राप्त कर लेंगे।
- 16.5 उधारकर्ता एतद्वारा (i) इस समझौते में से किसी के निष्पादन के अनुसरण में बैंक द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में किए जाने वाले किसी भी प्रकटीकरण को करने के लिए बैंक को अपनी सहमति देता है; (ii) इस बात से सहमत है कि बैंक उधारकर्ता के संबंध में किसी भी जानकारी का खुलासा अपने किसी भी सहयोगी, कर्मचारियों और किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, जिसके साथ वह इस समझौते के आधार पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण, भागीदारी या अन्य समझौते या लेनदेन में प्रवेश करने का इरादा रखता है या उधारकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या जैसा कि लागू कानून के तहत आवश्यक हो सकता है; (iii) इस बात से सहमत है कि बैंक अपने लेखा परीक्षकों या कानूनी सलाहकारों को किसी भी जानकारी का खुलासा कर सकता है;
- 16.6 उधारकर्ता एतद्वारा उक्त स्वीकृत ऋण के संबंध में उधारकर्ता से देय होने वाली किसी भी राशि की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत है, बैंक की पुस्तकों से बनाए गए और बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित खाते का एक विवरण, बिना किसी वाउचर के उत्पादन के, दस्तावेज़ या अन्य कागजात।
- 16.7 बैंक को उधारकर्ता को सूचित करते हुए सभी / किसी भी मंजूरी शर्तों को वापस लेने/संशोधित करने या नई शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होगा। यह समझौता और यहाँ संदर्भित कोई भी अन्य दस्तावेज़, यहाँ उल्लिखित या इसके आकस्मिक सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करता है, और इस समझौते से पहले जारी किए गए या निष्पादित स्वीकृत पत्रों, समझौतों, सुरक्षा दस्तावेजों (यदि कोई हो) के प्रावधानों को छोड़कर, जो इसके अतिरिक्त और पूरक हैं, के अलावा और पूरक हैं, और इस समझौते की शर्तों के समान या संघर्ष में नहीं हैं।

17. शिकायत निवारण तंत्र

किसी भी शिकायत या शिकायत की स्थिति में, उधारकर्ता को नीचे उल्लिखित शिकायत निवारण प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है:

एक. प्रारंभिक शिकायत प्रस्तुत करना

उधारकर्ता निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है:

- याहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क करना।
- बैंक के निकटतम शाखा कार्यालय का दौरा करना।
- किसी भी शाखा कार्यालय में उपलब्ध शिकायत बॉक्स या शिकायत प्रपत्र का उपयोग करके लिखित शिकायत प्रस्तुत करना।

दो. एस्केलेशन मैट्रिक्स

यदि उधारकर्ता की शिकायत का समाधान उनकी संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है या यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो उधारकर्ता मामले को निम्नानुसार आगे बढ़ा सकता है:

स्तर 1: शाखा प्रबंधक / फोन बैंकिंग / याहक सेवा केंद्र

उधारकर्ता हो सकता है:

- निकटतम शाखा कार्यालय में शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।
- फोन बैंकिंग अधिकारी को टोल-फ्री नंबर 1800-202-5333 पर कॉल करें।
- customercare@shivalikbank.com को एक ईमेल भेजें।

स्तर 2: नोडल अधिकारी

यदि उधारकर्ता स्तर 1 पर प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है या यदि सात (7) कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की जाती है, तो उधारकर्ता शिकायत नोडल अधिकारी को भेज सकता है। नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:

नोडल अधिकारी	
नोडल अधिकारी का नाम:	रुपेश त्यागी
	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	दुसरी मंजिल, ऐड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर ए6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
संपर्क विस्तार से:	0120-4060011
ईमेल आईडी:	grievance@shivalikbank.com

स्तर 3: प्रधान नोडल अधिकारी

यदि उधारकर्ता नोडल अधिकारी से प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है या सात (7) कार्य दिवसों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो कृपया मामले को नीचे दिए गए पते और संपर्क विवरण पर प्रधान नोडल अधिकारी के पास भेजें:

प्रधान नोडल अधिकारी	
प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का नाम:	जयती सिंह
	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
	दुसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, प्लॉट नंबर ए6ए, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
फोन संख्या:	0120- 4060012
ईमेल आईडी:	pno@shivalikbank.com

बैंक के प्रधान नोडल अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जांच के लिए और समय की आवश्यकता होती है, तो प्रतिक्रिया देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता के बारे में बताते हुए शिकायत को स्वीकार किया जाएगा।

18. रिकवरी एजेंट की नियुक्ति

- (ए) उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक या उसका व्यवसाय प्रतिनिधि, बैंक के विवेकाधिकार पर, ऋण या किसी बकाया राशि का भुगतान करने में उधारकर्ता द्वारा किसी भी चूक की स्थिति में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए एक वसूली एजेंट नियुक्त कर सकता है। बैंक उधारकर्ता को पूर्व सूचना के बिना वसूली एजेंट को असाइन करने, पुनः असाइन करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (ख) नियुक्त वसूली एजेंट के पास यह अधिकार होगा: (ए) बैंक की ओर से उधारकर्ता से मूलधन, व्याज, दंड और अन्य शुल्कों सहित अतिदेय राशि एकत्र करना। (बी) बैंक से अनुमोदन के अधीन, उधारकर्ता द्वारा बकाया किसी भी बकाया राशि पर बातचीत करना, समझौता करना या निपटान करना। (ग) लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सुरक्षित संपत्ति के पुनर्ग्रहण सहित कानूनी या अन्य कार्यवाई शुरू करना, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (ग) उधारकर्ता बैंक द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट के साथ सहयोग करने और वसूली की सुविधा के लिए वसूली एजेंट द्वारा अनुरोधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने के लिए सहमत है। उधारकर्ता वसूली एजेंट को किसी भी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा।
- (घ) वसूली एजेंट वसूली गतिविधियों के निष्पादन में भारतीय रिज़र्व बैंक (या संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि बैंक और वसूली एजेंट गोपनीयता बनाए रखेंगे और वसूली कार्यवाई करते समय नैतिक मानकों का पालन करेंगे।
- (ङ) वसूली प्रक्रिया के संबंध में बैंक और/अथवा वसूली एजेंट द्वारा की गई सभी उचित लागतें और व्यय, जिसमें कानूनी शुल्क भी शामिल है, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और बकाया देय राशि में जोड़ा जाएगा।
- (च) बैंक इस खंड के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने या सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें वसूली एजेंट भी शामिल है, उधारकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना

19. लिंकड सेविंग्स अकाउंट बंद करना

- उधारकर्ता, लागू कानून और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के तहत, बैंक को यह अपरिवर्तनीय अधिकार देता है कि ऋण के पूरे भुगतान और ऋण खाता बंद होने पर, लोन के संबंध में खोले गए या तय किए गए ऐसे बचत खाता ('लिंकड सेविंग्स अकाउंट') को बंद कर दे, जब तक कि उधारकर्ता ऐसे बचत खाता को जारी रखने के लिए बैंक को लिखित अनुरोध न करे।
- लिखित अनुरोध न होने पर, बैंक को अपना लोन और सेट-ऑफ का अधिकार इस्तेमाल करने और लिंकड सेविंग्स अकाउंट में जमा किसी भी बैलेंस को ऋण खाता और/या किसी अन्य फैसिलिटी या ऑब्लिगेशन के तहत, चाहे वह मौजूदा हो, भविष्य का हो, वास्तविक हो या आकस्मिक हो, उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय किसी भी बकाया राशि के एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।
- विनियोजन के बाद बची हुई कोई भी अतिरिक्त राशि उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी, और उसके बाद बैंक की पॉलिसी के अनुसार लिंकड सेविंग्स अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए उधारकर्ता से किसी और काम, कार्यवाई या पुष्टि की ज़रूरत नहीं होगी।

लिंकड सेविंग्स अकाउंट जारी रखने का विकल्प

- अगर ऋण खाता बंद होने के बाद भी उधारकर्ता लिंकड सेविंग्स अकाउंट जारी रखना चाहता है, तो उधारकर्ता को ऋण खाता बंद होने से पहले या उस समय बैंक को एक लिखित अनुरोध देनी होगी।
- लिंकड सेविंग्स अकाउंट का जारी रहना बैंक की मौजूदा पॉलिसी, जो जमा खाता पर लागू होती है, ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरा होने, और लागू कानूनों, नियमों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस भी शामिल हैं, के पालन पर निर्भर करेगा। बैंक को ऐसी पॉलिसी और गाइडलाइंस के अनुसार खाता को जारी रखने से मना करने का अधिकार है।

गवाह में, पार्टियों ने इस समझौते को अनुलग्नक I में निर्दिष्ट तारीख को निष्पादित किया है उधारकर्ता के मामले में द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

व्यक्ति के लिए:

नाम:

उधारकर्ता के हस्ताक्षर

प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी के लिए

नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर

औहदा:

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सत्यापित करना:

गवाह का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक
नियम और शर्तें

1.	स्वीकृत ऋण का प्रकार	
2.	समझौते का स्थान	
3.	समझौते की तिथि	
4.	उधारकर्ता का विवरण	नाम: निगमन की आयु/तिथि: पता/पंजीकृत कार्यालय:
5.	उधारकर्ता का संविधान	(व्यक्तिगत/मालिक/साझेदारी/एचयूपएफ/ट्रस्ट/एलएलपी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी)
5.	व्यवसाय संवाददाता/बैंक का शाखा कार्यालय	
6.	स्वीकृति ऋण का उद्देश्य	कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
7.	स्वीकृत ऋण की राशि	रुपये तक
8.	प्रोसेसिंग फीस	
9.	व्याज	जैसा कि संवितरण के लिए अनुरोध पत्र में विस्तार से बताया गया है
10.	अतिदेय शुल्क	अतिदेय राशि पर 12% प्रति वर्ष
11.	प्रतिभूति	जैसा कि संवितरण के लिए अनुरोध पत्र में विस्तार से बताया गया है
12.	प्रत्येक संवितरण की अवधि	जैसा कि संवितरण के लिए अनुरोध पत्र में विस्तार से बताया गया है
13.	चुकोती	
14.	अन्य शर्तें	

पुनर्भुगतान अनुसूची

क्र.सं.	व्यक्तियों	विवरण
1.	ईएमआई की संख्या	
2.	ईएमआई शुरू होने की तिथि	
3.	ईएमआई मासिक/बुलेट/गुब्बारे की आवृत्ति	
4.	ईएमआई देय तिथि	
5.	पुनर्भुगतान का तरीका	

कर्जदार
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(1) नाम:

प्रतिज्ञा समझौता

यह प्रतिज्ञा समझौता (इसके बाद "समझौते" के रूप में संदर्भित किया गया) इस पर बनाया गया _____ का दिन _____ द्वारा: {गिरवीकर्ता का नाम - व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों}, जिसका आवासीय पता/पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय हो ("इसके बाद इसे "गिरवीकर्ता" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशी और उसके तहत शीर्षक प्राप्त/दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा)।

के पक्ष में

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएन: U65900DL2020PLC366027) के तहत पंजीकृत है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501 सैल्कॉन ऑरम जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली 110025 और कॉर्पोरेट/प्रधान कार्यालय दूसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर में है। प्लॉट नंबर ए 6 ए, सेक्टर 125, नोएडा, यूपी 201303 (इसके बाद "प्लेज" के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति होगी, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका मतलब होगा और इसके उत्तराधिकारियों, असाइन किए गए शामिल हैं))

जबकि:

- अ. ऋण समझौते के निष्पादन के अनुसार और गिरवीकर्ता के अनुरोध पर, गिरवीकर्ता को एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है जो कि 1000 रुपये के ऋण से अधिक नहीं है। ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर ("स्वीकृत ऋण")
- आ. गिरवीकर्ता को ऋण देने के लिए सहमत हो गया है, इस शर्त के अधीन कि ऋण, सभी ब्याज, कमीशन, शुल्क (फ्रंट-एंड शुल्क सहित), पूर्व भुगतान या मोचन पर प्रीमिया, लागत, शुल्क, व्यय, और अन्य सभी राशियों के साथ, जो भी ऋण दस्तावेजों के तहत निर्धारित है, गिरवीकर्ता द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट गोदामों/गोदामों में गिरवीकर्ता द्वारा जमा की गई वस्तुओं पर गिरवी के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा, जैसा कि संवितरण अनुरोध प्रपत्र (अनुलग्नक ए) में विस्तृत है। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? _____ गिरवीकर्ता (व्यक्तियों) को गिरवीकर्ता द्वारा दी जाने वाली प्लेजर्स को दी जाने वाली मंजूरी/सहमत, गिरवीकर्ता (ओं) की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक ऋण खाते में वितरित किया जाना है और गिरवीकर्ता के विवेकाधिकार पर, गिरवीकर्ता (ओं) ने इसके द्वारा उक्त ऋण या उसके किसी हिस्से को उसकी संबंधित नियत तारीख (ओं) को चुकाने के लिए अनुबंध किया है।
- इ. पार्टियां प्रतिज्ञा को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को निर्धारित करना चाहती हैं।

अब इसलिए ये प्रस्तुत गवाह हैं कि:

एक. परिभाषाएँ

- अ. "लागू कानून" का अर्थ है कोई भी कानून, राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय, स्थानीय, नगरपालिका, विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय या अन्य कानून, संधि, संहिता, विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, आदेश, डिक्री, उप-कानून, किसी भी सरकारी प्राधिकरण का अनुमोदन, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, आवश्यकता या अन्य सरकारी प्रतिबंध या किसी भी समान रूप के निर्णय या निर्धारण के किसी भी समान रूप, या किसी भी व्याख्या या प्रशासन में किसी भी पूर्वगामी के कानून का बल है विचाराधीन मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला सरकारी प्राधिकरण, चाहे वह इस समझौते की तारीख तक या उसके बाद किसी भी समय प्रभावी हो।
- आ. "गिरवी रखने के कारण शेष" का अर्थ है और इसमें समय-समय पर स्वीकृत ऋण की मूल राशि, ब्याज, अतिदेय शुल्क शामिल हैं, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है और सभी लागत, शुल्क, कमीशन और व्यय, जिसमें वृद्धिशील कर, ब्याज कर और कोई अन्य संबंधित और परिणामी शुल्क और कर, बीमा प्रीमियम शामिल हैं, जो गिरवी रखने वाले ने भुगतान किया हो सकता है या खर्च किया हो, जिसमें वस्तुओं के संबंध में और गिरवीकर्ता द्वारा गिरवीकर्ता के खाते में नियमों के अनुसार, या गिरवी रखने के उपयोग के अनुसार घटित किए गए आकस्मिक या अन्य शुल्क भी शामिल हैं।
- इ. "उधारकर्ता" का अर्थ है एक व्यक्ति, मालिक, फर्म या कंपनी जैसा कि ऋण समझौते के अनुलग्नक 1 में वर्णित है और, जहां भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, इसमें एक सह-गिरवीकर्ता शामिल है जिसका नाम उपरोक्त अनुलग्नक 1 में निर्दिष्ट है और इसके बाद सामूहिक रूप से "गिरवीकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ई. "वस्तुओं" का अर्थ होगा कटाई की गई कृषि उपज, प्रसंस्कृत कृषि वस्तुएं, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, और अन्य गैर-खतरनाक, गैर-कृषि जिंसों जैसे आधार धातुओं सहित कृषि आदान, जो गिरवी रखे गए हैं या प्रतिज्ञा के पक्ष में गिरवीकर्ता द्वारा गिरवी रखे जाने के लिए सहमत हैं, जैसा कि अनुबंध ए के रूप में संलग्न संवितरण अनुरोध प्रपत्र में विस्तृत है।
- उ. "स्वीकृत ऋण" का अर्थ है गिरवीकर्ता को गिरवी रखने वाले द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और विशेष रूप से ऋण समझौते के अनुलग्नक 1 में

वर्णित है।

- ऊ. "ब्याज" का अर्थ पक्षों के बीच सहमत दर पर स्वीकृत ऋण पर प्रभार्य राशि होगी और विशेष रूप से ऋण समझौते के अनुलग्नक 1 में उल्लिखित है, जो वितरित स्वीकृत ऋण की मूल राशि के उपयोग के खिलाफ गिरवीकर्ता द्वारा देय राशि है।
- ऋ. "आरबीआई" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक।
- ल. "उद्देश्य" का अर्थ है वह उद्देश्य जिसके लिए उधारकर्ता द्वारा ऋण का उपयोग किया जाएगा जैसा कि ऋण समझौते के अनुलग्नक 1 में विशेष रूप से निर्दिष्ट है।
- ए. "सुरक्षा" का अर्थ कोई भी सुरक्षा हित होगा जो गिरवीकर्ता द्वारा गिरवीदार के पक्ष में बनाया जा सकता है या बनाने के लिए सहमति दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य गिरवीकर्ता के बकाया राशि के पुनर्भुगतान और इस समझौते के तहत गिरवीकर्ता के सभी दायित्वों को सुरक्षित करना है।
- दो. **वस्तुओं की प्रतिज्ञा।**
- अ. ऋण समझौते के तहत प्लेजर द्वारा प्लेजर द्वारा देय सभी ब्याज, परिसमापन क्षति, लागत, शुल्क और अन्य धन के साथ स्वीकृत ऋण राशि के देय पुनर्भुगतान और निर्वहन के लिए सुरक्षा के रूप में, साथ ही ऋण समझौते की शर्तों के उचित निर्वहन, पालन और अनुपालन के लिए भी और ये प्रस्तुत करता है ("सुरक्षित दायित्व"), प्लेजर:
 १. इस समझौते के अनुसार गिरवी रखने वाली वस्तुओं को गिरवी रखने के लिए पहले ही प्रतिज्ञा की गई है/है/सहमत हो चुकी है/सहमत हो चुकी है, चाहे पहले से ही आहरित किसी भी राशि के लिए सुरक्षा के उद्देश्य से या किसी भी राशि (धन) के लिए सुरक्षा के रूप में, इसे उक्त ऋण खाते के खिलाफ / किसी भी सामान के प्रतिस्थापन के रूप में और उसके बदले में तैयार किया जाएगा जो समय-समय पर वितरित किया जा सकता है या वितरित किया जा सकता है इस समझौते के तहत या अन्यथा (इसके बाद "वस्तुओं" कहा जाता है) को समय-समय पर गिरवी रखने वाले के लिए गिरवी रखने वाले को जमानत के भुगतान के लिए गिरवी रखने वाले को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया माना जाता है।
 २. यह उधारकर्ता एतद्वारा पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि गिरवी रखने वाले के पक्ष में गिरवी रखी गई वस्तुओं को एक या अधिक निर्दिष्ट गोदामों या गोदामों में संग्रहीत किया जाता है, और यह कि गिरवी रखनेवाला, या तो सीधे या अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित, ऐसी वस्तुओं के कब्जे या रचनात्मक कब्जे
 ३. में है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित दायित्वों के लिए सुरक्षा के रूप में एक वैध और लागू करने योग्य प्रतिज्ञा बनाना और पूर्ण करना है।
 ४. गिरवी रखने वाले की संतुष्टि के लिए गिरवीकर्ता के खाते में धन में कमी, यदि कोई हो, का भुगतान करके या अतिरिक्त वस्तुओं की जमा/गिरवी रखकर ऋण समझौते में निर्धारित वस्तु उपज के मूल्य के संबंध में अपेक्षित मार्जिन बनाए रखेगा; और सभी अतिरिक्त वस्तुएं, आदि, गिरवी रखे जाने वालेजी, गिरवी रखने वाले के पास एक ऐसे रूप और तरीके से गिरवी रखी जाएंगी जो गिरवी रखी जाएंगी (इसके बाद वस्तुओं के सभी संदर्भों में अतिरिक्त वस्तुओं के किसी भी संदर्भ को शामिल करने के लिए समझा जाएगा, जहां उपयुक्त हो) यहां के समान शर्तों के अधीन होंगे
 - ५.

तीन. प्रतिनिधित्व और वारंटी

गिरवीकर्ता प्रतिज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि:

- अ. गिरवीकर्ता वस्तुओं का एकमात्र कानूनी और लाभकारी स्वामी है और चालानों/गोदाम रसीदों/कब्जे में इस तरह का प्रमाण है और किसी भी समय वस्तुओं पर कोई ग्रहणाधिकार, भार या प्रभार मौजूद नहीं है (और इसे प्राप्त करने का कोई अधिकार या विकल्प किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मौजूद नहीं है), और यहां बनाए गए या प्रदान किए गए गिरवी के पक्ष में प्रतिज्ञा और सुरक्षा हित कमोडिटी उत्पाद में और उसके लिए एक विशेष और पहली प्राथमिकता वाले सुरक्षा हित का गठन करता है।
- आ. गिरवीकर्ता ने अपरिवर्तनीय रूप से गिरवी रखने वाले को कमोडिटीज, या उसके किसी भी हिस्से को अपने नाम पर/किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया है, जैसा कि गिरवी रखने वाला उचित समझे, किसी भी समय डिफॉल्ट की घटना के घटित होने पर।
- इ. गिरवीकर्ता ने प्रतिज्ञा के पक्ष में प्रतिज्ञा के निर्माण के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सरकारी और वैधानिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं, यदि कोई हो; और यह कि इस समझौते में प्रवेश करना और उसके निष्पादन को सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्यवाही द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, गिरवीकर्ता द्वारा विधिवत और वैध रूप से निष्पादित और वितरित किया गया है, और यह गिरवीकर्ता का एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो यहां की शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य है; और वह गिरवीकर्ता के पास इस समझौते में प्रवेश करने और वस्तुओं को गिरवी रखने का पूरा अधिकार, शक्ति और अधिकार है; और यह कि गिरवीकर्ता की ओर से इस समझौते के निष्पादकों को इस समझौते को निष्पादित करने और यहां निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए विधिवत सशक्त और अधिकृत किया गया है;.
- ई. इस समझौते का निष्पादन और वितरण गिरवीकर्ता को नियंत्रित करने वाले किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें गिरवीकर्ता एक पक्ष है, और गिरवीकर्ता के निगमन प्रमाण पत्र और उपनियम इस समझौते के किसी भी नियम या शर्तों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं।

चार. वस्तुओं का संरक्षण

अ. प्रतिज्ञा के पक्ष में इस समझौते द्वारा गठित प्रतिभूति:

अ. जारी रहेगा और किसी भी मध्यवर्ती भुगतान या ऋण या सुरक्षित दायित्वों के पूरे या किसी भी हिस्से की संतुष्टि से संतुष्ट या छुट्टी नहीं दी जाएगी; और

आ. इसके अलावा होगा और किसी भी अन्य सुरक्षा ब्याज से प्रभावित नहीं होगा या बाद में सभी या किसी भी ऋण या सुरक्षित दायित्वों के लिए गिरवी रखने के लिए गिरवी रखा जाएगा।

आ. गिरवीकर्ता की देय राशि के पुनर्भुगतान/भुगतान और ऋण की शर्तों के तहत दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में गिरवीकर्ता के पक्ष में गिरवीकर्ता द्वारा दी गई और बनाई गई प्रतिभूति, ऋण की पूरी अवधि के लिए जारी रहेगी और जब तक गिरवीकर्ता की बकाया राशि और ऋण शर्तों के तहत सभी अनुबंधों का पूर्ण पुनर्भुगतान/भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक गिरवीकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुपालन नहीं किया जाता है। खाते को किसी भी समय क्रेडिट में लाया जा रहा है या इसे पूरी सीमा तक खींचा जा रहा है और बाद में क्रेडिट में लाया जा रहा है, और ऋण की समाप्ति और ऋण के तहत देय सभी धन के भुगतान तक जारी रहेगा। ऋण की शर्तें ऋण से संबंधित खाते में गिरवीकर्ता द्वारा समय-समय पर गिरवी रखने वाले को देय शेष राशि के लिए ऑपरेटिव होंगी और खाते को किसी भी समय या समय-समय पर क्रेडिट में लाए जाने या इसे पूरी सीमा तक आहरित किए जाने और बाद में क्रेडिट में लाए जाने के कारण खाते को बंद नहीं माना जाएगा और ऋण की शर्तें जारी रहेंगी। इस तरह के प्रासंगिक ऋण समाप्त होने तक ऑपरेटिव और अप्रभावित रहें और सभी।

इ. जहां कोई निर्वहन पूरी तरह से या आंशिक रूप से किया जाता है, या किसी भी भुगतान, सुरक्षा या अन्य स्वभाव के विश्वास पर कोई व्यवस्था की जाती है, जिसे टाला जाता है या दिवालियापन, परिसमापन या अन्यथा बिना किसी सीमा के बहाल किया जाना चाहिए, यह सुरक्षा और इस समझौते के तहत गिरवीकर्ता की देयता जारी रहेगी जैसे कि निर्वहन या व्यवस्था नहीं हुई है।

ई. इस समझौते के तहत गिरवीकर्ता के दायित्व किसी भी अधिनियम, चूक या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे, जो लेकिन इस प्रावधान के लिए इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व से गिरवीकर्ता को मुक्त करने या दोषमुक्त करने के लिए काम कर सकते हैं या पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रभावित या कम हो सकते हैं, चाहे गिरवीकर्ता को पता हो या नहीं, जिसमें बिना किसी सीमा के शामिल हैं:

अ. किसी भी समय, गिरवीकर्ता या अन्य व्यक्ति को दी गई छूट या छूट, या उसके साथ समझौता; या

आ. परिवर्तन, समझौता, विनियम, नवीनीकरण या रिलीज, या इनकार या उपेक्षा करने के लिए पूर्ण करने या लागू करने के लिए उपेक्षा, समझौते की किसी भी शर्त के खिलाफ किसी भी अधिकार और उपाय, या गिरवीकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई कोई सुरक्षा; या

इ. ऋण स्वीकृति समझौते, या इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज या सुरक्षा या किसी भी सरकारी एजेंसी के किसी भी वर्तमान या भविष्य के कानून या व्यवस्था (चाहे अधिकार या वास्तव में) के तहत किसी भी दायित्व को कम करने या अन्यथा प्रभावित करने का इरादा रखने वाली किसी भी अनियमितता, अमान्यता, हताशा या अन्य अप्रवर्तनीयता इस समझौते के तहत पूरी तरह से लागू रहेगी और इस समझौते को तदनुसार माना जाएगा जैसे कि कोई नहीं था ऐसी अनियमितता, अप्रवर्तनीयता, अमान्यता, या हताशा; नहीं तो

ई. कोई भी वैध सीमा, विकलांगता, अक्षमता या शक्तियों की कमी, प्राधिकरण या कानूनी व्यक्तित्व या विघटन या गिरवीकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित स्थिति या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन, या ऋण स्वीकृति समझौते या किसी अन्य दस्तावेज या सुरक्षा की शर्तों में कोई संशोधन या भिन्नता।

एक. अधिकारों का संरक्षण

गिरवीकर्ता इस बात से सहमत है कि इस समझौते द्वारा बनाई गई सुरक्षा किसी अन्य सुरक्षा के अतिरिक्त होगी और प्रतिस्थापन में नहीं होगी जो अब या इसके बाद गिरवी रखने के प्रति अपने दायित्वों को सुरक्षित कर सकती है और प्रतिज्ञा के बिना लागू की जा सकती है, पहले ऐसी सुरक्षा का सहारा लेने या गिरवीकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता होती है।

दो. उपक्रमों

गिरवीकर्ता यह वचन देता है कि वस्तुओं में प्रतिज्ञा के सुरक्षा हित को पूर्ण करने या अधिक प्रभावी बनाने के लिए, वह समय-समय पर ऐसे अन्य उपकरणों को निष्पादित करेगा जो प्लेज या उसके नामांकित व्यक्ति में प्रभावी ढंग से निहित करने के लिए आवश्यक हैं, ऐसे अन्य कर्म, लेखन और उपकरण जो प्रतिज्ञा या उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो सकते हैं, और अन्य सभी कार्य, कर्म और चीजें करें जो प्रतिज्ञा या उसके नामांकित व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है।

तीन. प्रतिज्ञा के दायित्वों पर सीमाएँ

गिरवी रखने वाले का वस्तुओं या उसके मूल्य की रक्षा करने का कोई दायित्व नहीं होगा। विशेष रूप से, गिरवी रखने वाली की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और गिरवी रखने वाले के खिलाफ (ए) वस्तुओं के मूल्य में कोई मूल्यहास या वस्तुओं से किसी भी आय या आय के संग्रह या सुरक्षा के लिए (बी) वस्तुओं के लिए या तीसरे व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी अधिकार का दावा करने वाले पक्षों के खिलाफ अधिकारों का संरक्षण या (सी) उपरोक्त में से किसी के बारे में गिरवीकर्ता को सूचित करने के संबंध में कोई दावा या कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, गिरवी रखने वाले को ऐसे मामलों का ज्ञान है या नहीं माना जाता है।

चार. चूक

इन प्रस्तुतियों के प्रयोजनों के लिए, "डिफॉल्ट की घटना" में ऋण स्वीकृति समझौते में सूचीबद्ध डिफॉल्ट की घटना के अलावा, निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना शामिल होगी:

अ. प्रतिज्ञा द्वारा सुरक्षित दायित्वों का भुगतान न करना।

आ. इस समझौते में निहित किसी अन्य शब्द, दायित्व, वाचा या शर्त का पालन करने या निष्पादित करने में गिरवीकर्ता की विफलता।

इ. इस समझौते के तहत गिरवीकर्ता की कोई भी वारंटी या प्रतिनिधित्व किसी भी संबंध में झूठा, गलत या भ्रामक है, या तो अभी या उस समय बनाया या प्रस्तुत किया गया या प्रस्तुत किया गया माना जाता है।

पाँच. वस्तुओं की बिक्री और उस पर कोई दायित्व नहीं

ऋण समझौते में निहित गिरवी रखने के अधिकारों और उससे संबंधित दस्तावेजों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, डिफॉल्ट की घटना के घटित होने

पर, गिरवी रखने वाला, कम से कम एक दिन के अधीन या ऐसे दिन की पूर्व सूचना के अधीन, जैसा कि प्लेजगर को प्लेजगर द्वारा तय किया गया है, ऐसे स्थान या स्थानों पर वस्तुओं के सभी या किसी भी हिस्से को बेचना, असाइन करना या अन्यथा निपटान करना जैसा कि प्लेजर्ज उचित समझे और नकद या क्रेडिट पर या भविष्य की डिलीवरी के लिए (इसके द्वारा किसी भी क्रेडिट जोखिम को मानने के बिना), सार्वजनिक या निजी बिक्री पर, प्रदर्शन की मांग या किसी भी तरह के किसी भी स्वभाव या उसके समय या स्थान को प्रभावित करने के इरादे की सूचना के बिना और प्लेज या कोई और किसी भी बिक्री या अन्य निपटान में निपटाए गए किसी भी या सभी वस्तुओं का खरीदार, समनुदेशी या प्राप्तकर्ता हो सकता है और उसके बाद इसे पूरी तरह से धारण करता है, किसी भी प्रकार के किसी भी दावे या अधिकार से मुक्त, जिसमें बिना किसी सीमा के किसी भी अधिकार या मोचन (वैधानिक या अन्यथा) की इक्विटी शामिल है, गिरवीकर्ता का, ऐसी कोई भी मांग, नोटिस या अधिकार और इक्विटी इसके द्वारा स्पष्ट रूप से माफ और जारी की जा रही है। प्लेजी, बिना किसी और सूचना या प्रकाशन के, किसी भी सार्वजनिक या निजी बिक्री को स्थगित कर सकता है या बिक्री के लिए निर्धारित समय और स्थान पर घोषणा द्वारा समय-समय पर उसे स्थगित कर सकता है और ऐसी बिक्री किसी भी समय या स्थान पर की जा सकती है जिस पर इसे स्थगित किया जा सकता है। गिरवीकर्ता एतद्वारा इस खंड में निर्दिष्ट नोटिस अवधि के जारी करने के तरीके और लंबाई की तर्कसंगतता और पर्याप्तता को स्वीकार करता है और पुष्टि करता है। गिरवी रखने वाले को वस्तुओं या उसके किसी भी हिस्से की बिक्री के परिणामस्वरूप कोई दायित्व नहीं देना होगा। गिरवीकर्ता एतद्वारा इस तथ्य के कारण उत्पन्न होने वाले प्लेज के खिलाफ किसी भी दावे को माफ कर देता है कि जिस कीमत पर कमोडिटी को इस तरह की बिक्री पर बेचा जा सकता है, वह उस कीमत से कम था जो किसी अन्य बिक्री पर प्राप्त की जा सकती थी या सुरक्षित दायित्वों की कुल राशि से कम थी, भले ही प्लेज प्राप्त पहले प्रस्ताव को स्वीकार करता है और एक से अधिक प्रस्तावक को वस्तुओं की पेशकश नहीं करता है। यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि बिक्री की स्थिति में, गिरवीकर्ता इस तरह की बिक्री को प्रभावित करने के लिए गिरवीकर्ता के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा।

छ. आय का आवेदन

अन्यथा के रूप में यहाँ स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है सिवाय, किसी भी संग्रह, बिक्री या वस्तुओं के सभी या किसी भी हिस्से की अन्य प्राप्ति की आय, इसके अनुसार और इन उपहारों के संबंध में प्रतिज्ञा द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य धन या राशि को प्रतिज्ञा द्वारा लागू किया जाएगा: -

- अ. सबसे पहले, इस तरह के संग्रह, बिक्री या अन्य प्राप्ति की लागत और व्यय के भुगतान के लिए, जिसमें प्लेज की जेब लागत और व्यय और उसके एजेंटों और परामर्शदाता की फीस और व्यय और उसके संबंध में प्लेजजी द्वारा किए गए या किए गए सभी खर्च और अग्रिम और गिरवीकर्ता की पूर्ण देयता में भुगतान प्रतिज्ञा करने के लिए; और
- आ. अंत में, अधिशेष के गिरवीकर्ता को भुगतान करने के लिए, यदि कोई हो, तो शेष।

सात. आगे के आश्वासन

गिरवीकर्ता इस बात से सहमत है कि, समय-समय पर, गिरवीकर्ता के लिखित अनुरोध पर, गिरवीकर्ता अपनी कीमत पर, ऐसे अन्य दस्तावेजों, कर्मा या लेखन को निष्पादित और वितरित करेगा और ऐसे अन्य कार्य और चीजें करेगा जैसा कि प्रतिज्ञा इस समझौते के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए अनुरोध कर सकती है।

आठ. प्रदर्शन करने का दायित्व

नौ. बीमा, रखरखाव और क्षतिपूर्ति खंड

गिरवी रखनेवाला, अपनी लागत पर, यह सुनिश्चित करेगा कि गिरवी रखी गई वस्तुओं का सभी जोखिमों के खिलाफ पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है, जिसमें आग, चोरी, बाढ़ और अन्य खतरों तक सीमित नहीं है, जिसमें प्रतिज्ञा को स्वीकार्य एक व्यापक बीमा पॉलिसी है, जिसमें प्रतिज्ञा को एकमात्र लाभार्थी या हानि प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। गिरवीकर्ता उद्योग मानकों के अनुसार गिरवी रखे गए माल के उचित रखरखाव, सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा और ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा जो उनके मूल्य को खराब कर सकता है। गिरवी रखे गए माल के किसी भी नुकसान, क्षति या गिरावट की स्थिति में, गिरवीकर्ता ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, व्यय या दायित्व के खिलाफ प्रतिज्ञा को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा, जिसमें बीमा पॉलिसी के तहत माल के परिसमापन या दावा निपटान के बाद गिरवी की वसूली में कोई कमी शामिल है।

दस. कोई छूट नहीं

प्लेज या उसके किसी एजेंट की ओर से प्रयोग करने में कोई विफलता नहीं, और इसके संबंध में व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं, और इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी नहीं होगी, न ही इसके तहत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय के प्लेज या उनके एजेंटों में से किसी भी एकल या आंशिक प्रयोग को किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार के प्रयोग को रोकेगा, शक्ति या उपाय। यहां दिए गए उपाय संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उपचार से अलग नहीं हैं।

ग्यारह. शासी कानून

यह करार भारत के कानूनों के अनुसार संचालित और समझा जाएगा।

बारह. नोटिस

इस समझौते के लिए आवश्यक या प्रदान की गई सभी सूचनाएं प्रीपेड पंजीकृत पोस्ट/कूरियर या टेलिक्स या फैक्स या ईमेल द्वारा अंग्रेजी में लिखित रूप में दी जाएंगी और यहां पहले बताए गए अनुसार पार्टियों के संबंधित पते पर अग्रेषित की जाएंगी। नोटिस प्राप्त पर प्रभावी माना जाएगा।

तेरह. छूट इस समझौते की अवधि को केवल प्लेज और गिरवीकर्ता द्वारा विधिवत निष्पादित लिखित रूप में एक उपकरण द्वारा माफी, बदला या संशोधित किया जा सकता है।

चौदह. उत्तराधिकारियों

यह समझौता बाध्यकारी होगा और गिरवीकर्ता और गिरवीकर्ता के संबंधित उत्तराधिकारियों और असाइन के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगा, बशर्ते कि गिरवीकर्ता प्लेज की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी पार्टी को अपने अधिकारों को सौंपेगा या हस्तांतरित नहीं करेगा। हालांकि, यहां या ऋण स्वीकृति समझौते में निहित कुछ भी प्लेजी को किसी भी पार्टी को इसके तहत किसी भी अधिकार को असाइन करने या अन्यथा स्थानांतरित करने से रोकने के लिए नहीं माना जाएगा।

पंद्रह. समकक्षों

इस समझौते को किसी भी संख्या में समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से सभी एक साथ एक ही साधन का गठन करेंगे, और यहां कोई भी पक्ष ऐसे किसी भी समकक्ष पर हस्ताक्षर करके इस समझौते को निष्पादित कर सकता है।

सोलह. विच्छेदनीयता

यदि यहां कोई उपबंध अमान्य और अप्रवर्तनीय है, तो कानून द्वारा अनुमत पूरी सीमा तक

(१) इसके अन्य प्रावधान पूरी ताकत और प्रभाव में रहेंगे और पार्टियों के इरादे को पूरा करने के लिए जितना हो सके उतना ही समझा जाएगा संभव और

(२) किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके किसी भी प्रावधान की अमान्यता या अप्रवर्तनीयता ऐसे प्रावधान की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

सत्रह. अधिकार-क्षेत्र

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या अंतर के संबंध में, नोएडा, उत्तर प्रदेश की अदालतों के पास गैर-अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

अठारह. विवाद समाधान और मध्यस्थता:

इस समझौते/नियम और शर्तों या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी संबंधित लेन-देन, या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, विवाद या दावों को पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और एक स्वतंत्र और तटस्थ द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से संचालित और प्रशासित किया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" नामक तृतीय - पक्ष संस्थान और

"ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के संयोजन के साथ, जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और वेबसाइट पर होस्ट किया गया arbitration.jupitice.com "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" द्वारा अनुरक्षित है। विवाद पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा, 1996, और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड" के नियम। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की सभी लागतें दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित

की जाएगी, और मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुरस्कार अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ के चयन में प्रतिज्ञा का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

उन्नीस. समाप्ति

जब मंजूरी ऋण समझौते के तहत देय सभी धन और/या इन उपहारों को बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से पूर्ण रूप से भुगतान किया गया होगा और प्लेज द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, तो यह अनुबंध समाप्त हो जाएगा और गिरवी रखने वाले को रसीद के खिलाफ वितरित किया जाएगा, गिरवीकर्ता की लागत पर, लेकिन बिना किसी सहारा, वारंटी या प्रतिनिधित्व के, किसी भी शेष वस्तु को या गिरवीकर्ता के आदेश पर।

गवाह में जिसके बारे में गिरवीकर्ता ने अपने अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर यहां और इसके डुप्लिकेट पर दिन, महीने और वर्ष पर चिपका दिया है, जिसे पहले इसके बाद प्रकाशित किया गया है।

गिरवी रखने वाले के लिए (व्यक्तिगत और गैर-
व्यक्तिगत दोनों के लिए: फर्म/इकाई का नाम (यदि
लागू हो)

गिरवीकर्ता का नाम/गिरवीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम (यदि लागू हो)
दिनांक:

प्रतिज्ञा के लिए:
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पद का नाम
दिनांक:

संवितरण अनुरोध पत्र - (बाद के संवितरण)

 दिनांक:

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

2nd फ्लोर, एड इंडिया टॉवर,

प्लॉट नंबर ए-6ए, सेक्टर 125,

नोएडा - 201303

प्रिय महोदय:

विषय: अतिरिक्त वस्तुओं के खिलाफ ऋण राशि के वितरण के लिए अनुरोध

मैं/हम _____ निवास / पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का स्थान _____ 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के वितरण के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध करने के लिए पत्र लिखना। _____ (ख) स्वीकृत कुल ऋण में से (जैसा कि अनुलग्नक बी-कुंजी तथ्य विवरण में दिया गया है) के तहत ऋण करार के तहत दिनांक _____ और प्रतिज्ञा समझौता दिनांकित _____ नीचे _____ [ऋण खाता संख्या या ऋण आईडी] पर _____ [ऋण स्वीकृति तिथि]। ऋण के लिए अनुमोदित किया गया था _____ [ऋण का उद्देश्य] की राशि के लिए _____ [स्वीकृत राशि]।

मैं/हमने मूल्य, प्रकृति, गुणवत्ता और मात्रा की अतिरिक्त वस्तुओं की पेशकश की है जो आपको संतोषजनक रूप और तरीके से स्वीकृत ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार्य हो सकती हैं। मैं/हम आपके साथ वस्तुओं ("संपत्ति") को जमा करने की पुष्टि करते हैं जैसा कि अनुलग्नक - ए (संवितरण अनुरोध पत्र) में विस्तृत है और इन्हें गोदाम/गोदाम में जमा/रखा/संग्रहीत किया गया है। _____ ("वेयरहाउस कीपर") और वेयरहाउस कीपर ने संपत्ति पर आपके सुरक्षा हित/प्रतिज्ञा को नोट किया है।

मैं/हम स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि ऋण का उपरोक्त आवश्यक संवितरण लागू सुरक्षा मार्जिन द्वारा घटाई गई परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) के मूल्य से अधिक या उसके बराबर नहीं है और संवितरण की कुल राशि (उपरोक्त संवितरण सहित)/ऊपर निर्दिष्ट स्वीकृत ऋण की राशि से अधिक नहीं है।

मैंने/हमने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, और आवश्यक दस्तावेज, जिनमें [जमा किए गए किसी भी विशिष्ट दस्तावेजों की सूची बनाएं] शामिल हैं, आपके दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत जमा किए गए हैं। मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द संवितरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं _____ [खाता विवरण]।

कृपया एक बार संवितरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद पुष्टि करें या यदि किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता है। आप मुझसे [फोन नंबर] या [ईमेल पता] पर संपर्क कर सकते हैं।

आपकी त्वरित सहायता के लिए धन्यवाद।

सादर,

[उधारकर्ता का नाम-व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों के लिए]

अनुलग्नक - ए संवितरण अनुरोध पत्रक

डब्ल्यूआर/एसआर सं.	गोदाम रसीद की तिथि	सामान	विविधता	श्रेणीकरण	बैग की संख्या	शुद्ध वजन मीट्रिक टन में	बाजार दर गोदाम रसीद के अनुसार (रु./मीट्रिक टन में)	वर्तमान बाजार दर	कुल बाजार मूल्य (शुद्ध Wt x निचला बाजार)

अनुलग्नक - B

मुख्य तथ्य कथन			
क्रम संख्या	विवरण		ब्यौरा
1	ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या/सीआईएफ		
2	ऋण का प्रकार		मांग ऋण
3	संवितरण अनुसूची 1 चरणों में या 100% अग्रिम संवितरण		100% अग्रिम (प्रस्तुत की जा रही WHR रसीद के आधार पर)
4	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)		
5	शुद्ध वितरित राशि		(प्रस्तुत की जा रही WHR रसीद के आधार पर)
6	ऋण अवधि (महीनों में)		स्वीकृति सीमा 36 महीने के लिए वैध है
7	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)		
8	किस्त विवरण विवरण 2		
किस्त का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (रु)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (ईएमआई शुरू होने की तिथि)

*ईपीआई की गणना एक महीने में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी					
9	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)		स्थायी % प्रति वर्ष		
10	ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी				
संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R= (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें (महीने)	'आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव, में परिवर्तन।
ना	ना	ना	ना	ना	ना
11	शुल्क/शुल्क				
	आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय		
		एक बार/ पुनरावर्ती	राशि (रुपये में) या लागू प्रतिशत (%)	एक बार/आवर्ती	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
I)	प्रसंस्करण शुल्क	पुनरावर्ती			
II)	दस्तावेजीकरण शुल्क	एक बार			
		एक बार		एक बार	
12	आकस्मिक शुल्क का विवरण (रुपये या % में, जैसा लागू हो)				

13धारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही गोदाम रसीद के आधार पर

23धारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही गोदाम रसीद के आधार पर

I)	अतिदेय शुल्क, यदि कोई हो, देरी से भुगतान के मामले में	अतिदेय राशि पर 12% प्रति वर्ष
II)	स्टांप शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
III)	फोरक्लोजर शुल्क, यदि लागू हो	
चतुर्थ)	प्रकाशन शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
V)	नीलामी/परिसमापन शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
VI)	ऋणों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसके विपरीत ऋणों को बदलने के लिए शुल्क	
सातवीं)	कानूनी नोटिस शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
आठवीं)	कोई अन्य शुल्क (बाउंस शुल्क)	शून्य
भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)		
1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए कृपया खंड "18" देखें ऋण समझौते के "वसूली एजेंट की नियुक्ति।
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया खंड "17" देखें ऋण समझौते के सामान्य नियमों और शर्तों का "शिकायत निवारण"।
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया खंड "17" देखें ऋण समझौते के सामान्य नियमों और शर्तों का "शिकायत निवारण"।
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)	नहीं
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
	मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ	साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ
	ना	ना
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं	
	i) आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा	
	ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	

एपीआर की गणना

क्रम संख्या	प्राचल	ब्यौरा
1.	वितरित ऋण राशि (रुपये में)	
2.	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में)	
a)	गैर-समतुल्य आवधिक ऋण के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या)	
c)	पूँजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई हो,	
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	
4.	ब्याज दर	
5.	ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि, स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार (रुपयों में)। यह महीने में दिनों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगी	
6.	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	
एक।	आरई के लिए देय	
जन्म।	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
7.	शुद्ध वितरित राशि	
8.	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	
9.	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	
10.	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	100% अग्रिम
11.	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	

1 बुलेट लोन के लिए, अवधि के अंत में ब्याज लिया जाएगा

मुख्य तथ्य कथन

 दिनांक:

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

2nd फ्लोर, एड इंडिया टॉवर,

प्लॉट नंबर ए- 6ए, सेक्टर 125,

नोएडा – 201303

मुख्य तथ्य कथन					
क्रम संख्या	विवरण			ब्यौरा	
1	ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या/सीआईएफ				
2	ऋण का प्रकार			मांग ऋण	
3	संवितरण अनुसूची1 चरणों में या 100% अग्रिम संवितरण			100% अग्रिम (प्रस्तुत की जा रही WHR रसीद के आधार पर)	
4	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)				
5	वितरित राशि			(प्रस्तुत की जा रही WHR रसीद के आधार पर)	
6	ऋण अवधि (महीनों में)			स्वीकृति सीमा 36 महीने के लिए वैध है	
7	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)			जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है	
8	किस्त				
किस्त का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	पुनर्भुगतान की शुरुआत, मंजूरी के बाद (ईएमआई शुरू होने की तिथि)		
*ईपीआई की गणना एक महीने में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाएगी					
9	ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)		स्थायी % प्रति वर्ष		
10	ब्याज की फ्लोटिंग दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी				
संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R= (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें (महीने)	'आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव, में परिवर्तन।
11	शुल्क/शुल्क				
		आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
		एक बार/आवर्ती	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) के रूप में उपयुक्त	एक बार/आवर्ती	राशि (रुपये में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
I)	प्रोसेसिंग फीस	पुनरावर्ती			
II)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	एक बार			
III)	बीमा शुल्क	एक बार		एक बार	
12	आकस्मिक शुल्क का विवरण (रुपये या % में, जैसा लागू हो)				

13धारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही गोदाम रसीद के आधार पर

23धारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही गोदाम रसीद के आधार पर

I)	अतिदेय शुल्क, यदि कोई हो, देरी से भुगतान के मामले में	अतिदेय राशि पर 12% प्रति वर्ष
II)	स्टॉप शुल्क शुल्क	वास्तविक लागत पर

III)	फोरक्लोजर शुल्क, यदि लागू हो	
चतुर्थ)	प्रकाशन शुल्क	वास्तविक लागत पर
V)	नीलामी/परिसमापन शुल्क	वास्तविक लागत पर
VI)	ऋणों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसके विपरीत ऋणों को बदलने के लिए शुल्क	
सातवीं)	कानूनी नोटिस शुल्क	वास्तविक लागत पर
आठवीं)	कोई अन्य शुल्क (बाउंस शुल्क)	शून्य
भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)		
1	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए कृपया खंड "18" देखें ऋण समझौते के "वसूली एजेंट की सगाई"।
2	ऋण समझौते का खंड जो शिकायत निवारण तंत्र का विवरण देता है	शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया खंड "17" देखें ऋण समझौते के सामान्य नियमों और शर्तों का "शिकायत निवारण"।
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया खंड "17" देखें ऋण समझौते के सामान्य नियमों और शर्तों का "शिकायत निवारण"।
4	चाहे ऋण हो, या भविष्य में, अन्य आरई या प्रतिभूतिकरण में हस्तांतरण के अधीन हो (हां/नहीं)	नहीं
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
मूल आरई का नाम, इसके वित्त पोषण अनुपात के साथ		साझेदार आरई का नाम और उसके वित्त पोषण के अनुपात के साथ
		मिश्रित ब्याज दर
6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं	
i) आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में क्लिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा		
ii) वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण		

†, प्रत्येक डिमांड लोन खोलने पर, एसआर के अनुसार पीएफ की कटौती की जाएगी।

एपीआर की गणना

क्रम संख्या	प्राचल	ब्यौरा
1.	वितरित ऋण राशि (रुपये में)	
2.	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में)	स्वीकृति सीमा 36 महीने के लिए वैध है
a)	नहीं। (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	
b)	प्रत्येक ईपीआई की ईपीआई राशि (रुपये में) और संख्या का प्रकार। ईपीआई की संख्या (उदाहरण के लिए, मासिक किश्तों के मामले में ईएमआई की संख्या)	

बुलेट ऋण के लिए, कार्यकाल के अंत में ब्याज लिया जाएगा

मासिक ब्याज उत्पाद के लिए। ब्याज अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि यह एक महीने में दिनों की संख्या पर आधारित है

c)	नहीं। पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो,	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
d)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत	
3	ब्याज दर प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)	
4.	ब्याज दर	
5.	स्वीकृति तिथि (रुपये में) को प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि। यह एक महीने में दिनों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगा	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
6.	देय शुल्क/शुल्क (रुपये में)	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
एक।	आरई के लिए देय	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
जन्म।	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
7.	शुद्ध वितरित राशि	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
8.	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
9.	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है
10.	नियम और शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	100% अग्रिम
11.	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	जैसा कि बाद के संवितरण अनुरोध प्रपत्र में उल्लेख किया गया है